ई–मेल / पंजीकृत

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाऊस, कापरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली–110001

संख्याः–251 /तीस–खनन / एन0जी0टी0 / 2023–24 दिनांक 30/12 / 2023

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627 / 2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् औद्योगिक नीति एंव संवर्धन विभाग में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।**

———

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–627 / 2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् औद्योगिक नीति एंव संवर्धन विभाग में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अंतर्गत प्रश्नगत मामले में निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:–

1. The grievance raised in this letter petition is that the muck which comes out from khadiya Mines is thrown in River Saryu which is affecting the free flow of the river. Further allegation is that Khutani Power Company is operating a mobile stone crusher without any sanction and company has constructed a road on the Forest/panchayat/Civil land without any permission and the mining operation in District Bageshwar and Pithoragarh boundaries are being done in violation of the EC/CET/CTO condition/ environmental norms. It is stated that Khadiya Mines and Bhutani Power Project are on the same river and at a distance of 50-150 meters.

2- A perusal of the letter petition reveals that substantial issue relating to environment is involved in the matter.

3- Hence, at this stage, we deem it proper to form a joint Committee comprising of the Member Secretary, State PCB,representative of Member Secretary,CPCB and the District Magistrate, Bageshwar. The District Magistrate, Bageshwar will act as nodal agecy for coordination and compliance. The Committee will carry out the spot inspection and ascertain truthfulness of the allegations made in the letter petition and the extent of violation of environmental laws, if any, by the Project Proponent and submit a factual report. If the allegations are found to be correct, then appropriate orders will be passed for issuing the notice to the Project Proponent before taking any further action on the report.

4- Let the report be submitted on or before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF an not in the form of Image PDF.

5- List on 04.01.2024.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–55 / तीस–खनन–एन0जी0टी0 / 2023–24 दिनांक 19.10.2023 से उपजिलाधिकारी, बागेश्वर को अपना प्रतिनिधि नामित कर गठित समिति को मामले में संयुक्त जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी,बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या–432(1) / रा0अ0–खनन–एन0जी0

–2

टी0–जांच/2022–23 दिनांक 28 दिसंबर, 2023 से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में दिनांक 05–06 दिसंबर, 2023 को मामले में समिति द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण की विस्तृत आख्या उपलब्ध कराते हुए संयुक्त निरीक्षण आख्या के पृष्ठ–04 के बिंदु संख्या–05 में यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र का मलवा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर निजी नाप एवं राज्य सरकार की भूमि पर डाला गया हैं,के संबंध में अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी,बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या–481/रा0अ0–अवैध खनन जॉच/2022–23 दिनांक 16 दिसंबर, 2023 से पृथक से उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या–228/तीस–खनन–एन0जी0 टी0/2023–24 दिनांक 21.12.2023 से निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून को उत्तराखण्ड उप–खनिज(परिहार)नियमावली–2023 के अध्याय–5 के नियम–50 के उपनियम–12 के तहत मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण संदर्भित किया जा चुका है।(उपजिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्र संख्या–481/रा0अ0–अवैध खनन जॉच/2022–23 दिनांक 16 दिसंबर, 2023 व कार्यालय पत्र संख्या–228/तीस–खनन–एन0जी0टी0/2023–24 दिनांक 21.12.2023 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है)

अतः उपर्युक्तानुसार उपजिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्र दिनांक 28 दिसंबर, 2023 से प्राप्त समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है कि कृपया समिति की आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया,

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि, श्री आयुष नेगी,विशेष अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,न्यायाधिकरण नई दिल्ली, उत्तराखण्ड राज्य,एल0जी0,सी0एस0–20,अन्सल प्लाजा, वैशाली,सैक्टर–1गाजियाबाद–201014 को न्याय अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–80/xxxvi-a-3/2023/107(सा0)/2018टी0सी0 दिनांक 17 अप्रैल, 2023 के क्रम में समिति की जॉच रिपोर्ट की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मामले में अधोहस्ताक्षरी की ओर से पैरवी करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

उपजिलाधिकारी बागेश्वर
328 दिनांक 29-12-23

29 DEC 2023

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या–432(1)/रा0अ0–खनन–एन0जी0टी0–जांच / 2022–23 OC/m.c. दिनांक–28 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627 / 2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश विषयक।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने आदेश संख्या–55 / तीस–खनन–एन0जी0टी0 / 2023–24 दिनांक–19.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627 / 2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश विषयक के अनुपालन में शिकायतकर्ता के पत्र में उल्लिखित स्थलों की संयुक्त जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित क्षेत्र का समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी है।

अतः पत्र के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित

ओ0ए0 संख्या–627 / 2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य
में पारित आदेश दिनांक–12 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में गठित समिति की
संयुक्त निरीक्षण आख्या

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–627 / 2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–12 अक्टूबर, 2023 को आदेश पारित किया गया, जिसके कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं :

- *The grievance raised in this letter petition is that the muck which comes out from Khadiya Mines is thrown in River Saryu which is affecting the free flow of the river. Further allegation is that Khutani Power Company is operating a mobile stone crusher without any sanction and company has constructed a road on the Forest/Panchayat/Civil land without any permission and the mining operation in District Bagheshwar and Pithoragarh boundaries are being done in violation of the EC/CET/CTO conditions/environmental norms. It is stated that Khadiya Mines and Bhutani Power Project are on the same river and at a distance of 50-150 meters.*
- *A perusal of the letter petition reveals that substantial issue relating to environment is involved in the matter.*
- *Hence, at this stage, we deem it proper to form a joint Committee comprising of the Member Secretary, State PCB, representative of Member Secretary, CPCB and the District Magistrate, Bageshwar. The District Magistrate, Bageshwar will act as nodal agency for coordination and compliance. The Committee will carry out the spot inspection and ascertain truthfulness of the allegations made in the letter petition and the extent of violation of environmental laws, if any, by the Project Proponent and submit a factual report. If the allegations are found to be correct, then appropriate orders will be passed for issuing the notice to the Project Proponent before taking any further action on the report.*

2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627 / 2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–12 अक्टूबर, 2023 व जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय के पत्र संख्या–55 / तीस–खनन–एन0 जी0टी0 / 2023–24 दिनांक–19.10.2023 (प्रतिलिपि संल्गनित) के अनुपालन में निम्नलिखित सदस्यों को संबंधित कार्यालय द्वारा नामित किया गया –

1. श्रीमती मोनिका, उपजिलाधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखण्ड
2. डॉ0 डी0 के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्दवानी, उत्तराखण्ड
3. डॉ0 देवेन्द्र कुमार सोनी, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ

इस क्रम में दिनांक–05-06 दिसम्बर, 2023 को ग्राम पगना तहसील काफलीगैर जनपद, बागेश्वर अन्तर्गत स्थित खुटानी पावर प्रोजेक्ट व मै0 गणेश दत्त नैनवाल एवं मै0 भरत सिंह भाकुनी की सोप स्टोन माइनों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है।

3. अवलोकन –

क. निरीक्षण किये गये सोप स्टोन माइन्स एवं पावर प्रोजेक्ट के अक्षांश एवं देशान्तर स्थिति निम्न प्रकार है–

अ. मै0 खुटानी पावर प्रोजेक्ट (हाइड्रो प्रोजेक्ट), अक्षांश– 29.773576 देशान्तर–79.810439

ब. मै0 गणेश दत्त नैनवाल सोप स्टोन माइन, अक्षांश–29.782600 देशान्तर –79.817776

स. मै0 भरत सिंह भाकुनी सोप स्टोन माइन, अक्षांश–29.784891 देशान्तर–79.810439

(अ) खुटानी पावर प्रोजेक्ट (हाइडल पावर परियोजना) –

1 – खुटानी पावर प्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अशोक सिंह उपस्थित थे। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि परियोजना का वर्तमान कार्य जनपद पिथौरागढ की तहसील गंगोलीहाट के ग्राम सिसरौली में गतिमान है। परियोजना की क्षमता 21 मेगावाट की है। जिसका कम्पनी व उत्तराखण्ड सरकार के मध्य कार्यान्वयन अनुबन्ध दिनांक–16.07.2014 को हुआ है। परियोजना का आंशिक कार्य वर्ष 2019 से प्रारम्भ हुआ है। परियोजना का बैराज सतेश्वर मन्दिर संगम से 300 मीटर डाउन स्ट्रीम में है, जो पिथौरागढ व बागेश्वर जिला की सीमा पर बनेगा। जिसका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। परियोजना के अन्य घटक जैसे इनटैक, फीडर चैनल, टनल, पेनस्टोक व पावर हाउस पिथौरागढ़ जिला अन्तर्गत आते है। वर्तमान में टनल का कार्य प्रगतिशील है। टनल से निकले वाला मलुवा निस्तारण निर्धारित मक, डम्पिंग हेतु चयनित निजी भूमि में किया जा रहा है। जिसकी नदी से दूरी 50 मीटर व अन्य घटकों का कार्य विलम्ब से आरम्भ होगा। परियोजना का मोबाईल स्टोन केशर परियोजना क्षेत्रान्तर्गत स्थापित किया जा रहा है। जिसकी क्षमता 20 टन प्रतिघंटा है। क्रेशर की अनुमति हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के कार्यालय में आवेदन किया गया है। पूर्व में कम्पनी द्वारा मोबाईल स्टोन क्रेशर कम्पनी द्वारा खरीदा गया था। जो सड़क खराब होने के कारण परियोजना में पहुँचने से पहले खाई में गिर जाने से स्थापित नहीं हो सका। वर्तमान में क्रेशर की नीव निर्मित की जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त होने पर क्रेशर मशीन स्थापित की जायेगी। वर्तमान में परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कम्पनी द्वारा जनपद बागेश्वर व पिथौरागढ़ में संचालित स्टोन क्रेशरों से उपखनिज क्रय किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद अन्तर्गत कम्पनी का किसी प्रकार का निर्माण कार्य संचालित नहीं है। कम्पनी द्वारा जो भी कार्य परियोजना स्थल पर किया जा रहा है वह मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। परियोजना मैनेजर द्वारा दिए गए लिखित पत्र के संबंध में स्थल निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

2- खुटानी पावर प्रोजेक्ट के वर्तमान परियोजना स्थल व बागेश्वर जनपद को सरयू नदी विभाजित करती है। कम्पनी का कार्य सरयू नदी के बांये तरफ जनपद पिथौरागढ में गतिमान है। मौके पर कम्पनी का स्टोन क्रेशर संचालित नहीं है। कम्पनी द्वारा स्टोन क्रेशर के पार्टस स्थल पर रखे गये है। कम्पनी द्वारा मुख्य बाध स्थल पर आवागन हेतु टनल से निकले मलुवे (Muck) से नदी किनारे कच्चा मोटर मार्ग बनाया गया है। किन्तु नदी में किसी प्रकार का खनन सामग्री व मलुवा नहीं डाला गया है और न ही नदी का मार्ग अवरूद्ध किया गया है। परियोजना स्थल पर सरयू नदी का पानी प्रदूषित होना नहीं पाया गया।

3- मै0 खुटानी पावर कम्पनी प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम बनकोट तहसील गणाई–गंगोली, जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत 21 मेगावाट क्षमता का निर्माण कार्य उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक–10.05.2019 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) के पत्रांक–8 बी0/यूसीसी/01/38/2018/एफ0सी0/2183 दिनांक–17.01.2019 द्वारा प्रदत्त की गयी स्वीकृति के अनुक्रम में किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य एवं अन्य गतिविधिया 40 वर्षो की लीज पर आवंटित की गयी 03.52 है0 वन भूमि में किया जा रहा है। चूंकि कम्पनी का वर्तमान निर्माणकार्य जनपद पिथौरागढ क्षेत्र में संचालित है, जिस कारण वन भूमि एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि के संबंध जांच आख्या जनपद पिथारौगढ से प्राप्त की जानी उचित होगी। (प्रतिलिपि संल्गनित)

4- निर्माणाधीन विद्युत परियोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले गतिविधियों में मिनी हाईडिल पावर 25 मेगावाट से कम सफेद श्रेणी में आच्छादित है। सफेद श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित इकाईयों को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था से बाहर रखा गया है। सदर्भित विद्युत परियोजना 21 मेगावाट क्षमता की है, जिसे कि Environment Impact Assessment EIA Notification 2006 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति (ई0सी0) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। परियोजना को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) पत्रांक संख्या–यू0ई0पी0पी0सी0वी0/एच0ओ0/एन0ओ0सी0–7298/2019/1707 दिनांक–28.01.2020 द्वारा 05 वर्ष हेतु निर्गत की गयी है। (प्रतिलिपि संल्गनित)

5- निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट निर्माणाधीन पाया गया तथा परियोजना का मलवा निस्तारण स्थल–01 बटगैरी के पास राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये स्टोन क्रेशर का रैम्प एवं डक यार्ड स्थापित पाया गया तथा जॉ क्रेशर, कन्वेयर तथा स्टोर क्रेशर के अन्य भाग स्थल पर रखे पाये गये। जिस संबंध में परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूति आरोपित किये जाने की संस्तुति पृथक से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित् गयी है। निसीक्षण के दौरान संदर्भित स्थल पर स्टोन क्रेशर स्थापित/संचालित नहीं पाया गया तथा परियोजना से निकट सरयू नदी में किसी प्रकार का मलवा जाना दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

6- कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना सरयू नदी के दांये व बांये पार्श्व में जनपद बागेश्वर व पिथौरागढ में स्वीकृत है। वर्तमान में कम्पनी द्वारा अपने सभी निर्माण कार्य एवं अन्य गतिविधियां जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत की जा रही है। जनपद बागेश्वर अन्तर्गत कम्पनी का किसी प्रकार का निर्माण कार्य संचालित नहीं है। जिसके कारण परियोजना से सम्बन्धित अन्य विस्तृत जानकारी एवं तथ्य जनपद पिथौरागढ से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ब) मै0 गणेश दत्त नैनवाल सोप स्टोन माइन–

1- मै0 गणेश दत्त नैनवाल की सोप स्टोन माइन ग्राम पगना तहसील काफलीगैर में स्थित है तथा खुटानी पावर प्रोजेक्ट (हाइड्रो प्रोजेक्ट) से गूगल मैप के अनुसार 1.4 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। पट्टाधारक की सोप स्टोन माइन 12.418 है0 भूमि पर स्वीकृत है। वर्तमान में मौके पर सोप स्टोन का खनन कार्य नहीं हो रहा था।

2- पटटाधारक को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2328/VII-A-I/2021/135 क/2014 देहरादून दिनांक–05.01.2022 द्वारा जनपद बागेश्वर की तहसील काफलीगैर के ग्राम पगना में कुल रकवा 12.418 है0 भूमि में सोप स्टोन का खनन पट्टा 50 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है। पट्टाधारक को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, देहरादून, उत्तराखण्ड के ई0सी0 नम्बर–224–01(107)/2019 दिनांक–25.05.2021 द्वारा अनुमानित मात्रा 26330 टन प्रतिवर्ष खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना कार्यालय निर्देशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या–मुख्य खनिज/खनन योजना–163/भू0खनि0 ई0/2019–20 दिनांक–21.06.2019 द्वारा 50 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की गयी है। (प्रतिलिपि संल्गनित)

3- संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खनन क्षेत्र में पूर्व से निस्तारित मलवा उचित रिटेनिंग वाल के अभाव में खनन क्षेत्र से बाहर सरयू नदी के तट पर तथा ढलावदार भू–भाग में गिरा हुआ पाया गया तथा पट्टाधारक द्वारा माईनिंग क्षेत्र में वर्षा जल के निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था नहीं की गयी है। वर्षा/भूस्खलन के कारण मलवा खनन पट्टा क्षेत्र से

बाहर सरयू नदी में जाने से नदी के जल की गुणवत्ता/परिस्थितिकी तंत्र (Ecology) को प्रभावित कर सकता है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि पट्टाधारक ने खनन प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन नही किया है। निरीक्षण के दौरान खनन क्षेत्र से सरयू नदी के डाउन स्ट्रीम से जल नमनू ा एकत्रित किया गया। जो Designated Best Use Water Quality Criteria के अनुसार श्रेणी बी के अन्तर्गत पाया गया। **(जाँच रिपोर्ट प्रतिलिपि संल्गनित)** पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र से निकलने वाले अथवा निकले हुए मलबे का उचित निस्तारण सक्षम अधिकारी अथवा एजेंसी की उपस्थिति में पट्टेधारक के खर्च से मानसून आने से पहले करवाना अति आवश्यक है तथा जब तक पट्टाधारक द्वारा स्थल पर मलबा निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं की जाती तब तक पट्टाधारक की खनन संक्रियाओं पर अस्थाई रोक लगाना उचित होगा। संयुक्त समिति के द्वारा नदी के मक्तु प्रवाह में कोई महत्वपूर्ण अवरोध निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया।

4– पट्टाधारक को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/एन0ओ0 सी0–7352/2021/911 दिनांक–05.11.2021 द्वारा स्थापनार्थ सहमति तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक–यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सहमति/जी–236/2022/1413 दिनांक–24.11.2021 द्वारा दिनांक–31.03.2023 तक संचालनार्थ सशर्त सहमति प्राप्त है। इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पूर्व निर्गत सचांलनार्थ सहमति का अनुपालन संयुक्त निरीक्षण के दौरान न किये जाने के कारण उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की ऑनलाईन व्यवस्था में पट्टाधारक के सहमति नवीनीकरण आवेदन को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त पट्टाधारक श्री गणेश दत्त नैनवाल ग्राम पगना तहसील काफलीगैर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु घटक तथा कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण, देहरादून के प्रेषित की गयी है। **(प्रतिलिपि संल्गनित)**

5– संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र का मलवा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर निजी नाप एवं राज्य सरकार की भूमि पर डाला गया है। जिस कारण उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–977/VII-A-1/2023–24 ख/2007 देहरादून दिनांक–16 जून, 2023 द्वारा जारी अधिसूचना के अध्याय 5 के नियम 50 के उपनियम 12 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार पट्टाधारक पर रूपया 05.00 लाख जुर्माना लगाये जाने की आख्या जिलाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित की जा चुकी है। **(प्रतिलिपि संल्गनित)**

6– पट्टेधारक द्वारा निकाली गई खनिज का लेखा. जोखा का सत्यापन भी खनिज अधिकारी के द्वारा होना आवश्यक है।

(स) मै0 भरत सिंह भाकुनी पुत्र आनन्द सिंह भाकुनी सोप स्टोन माइन–

1– मै0 भरत सिंह भाकुनी श्री आनन्द सिंह भाकुनी तहसील रोड के नाम ग्राम पगना तहसील काफलीगैर अन्तर्गत 04.944 है0 भूमि पर सोप स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर खनन कार्य होना पाया गया।

2– पट्टाधारक को उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 2209/VIIA-1/2021/121 ख/04 देहरादून दिनांक–05.01.2022 द्वारा जनपद बागेश्वर के ग्राम पगना तहसील काफलीगैर में कुल रकवा 04.944 है0 भूमि में खनन का पट्टा 25 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है। पट्टाधारक को राज्य स्तरीय

2- पट्टाधारक को उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2209/VII-A-1/2021/121 ख/04 देहरादून दिनांक–05.01.2022 द्वारा जनपद बागेश्वर के ग्राम पगना तहसील काफलीगैर में कुल रकवा 04.944 है0 भूमि में खनन पट्टा 25 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है। पट्टाधारक को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, देहरादून, उत्तराखण्ड के ई0सी0 नम्बर–256–01(95)/2019 दिनांक–31.07.2021 द्वारा अनुमानित मात्रा–47782 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। **(प्रतिलिपि संलग्नित)**

3- पट्टाधारक को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून के पत्रांक–यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/एन0ओ0 सी0–7327/2021/11424 दिनांक–09.11.2021 द्वारा स्थापनार्थ सहमति तथा प्रदूषण मुख्यालय के पत्रांक–यू0के0 पी0 सी0बी0/एच0ओ0/सहमति/बी–195/2022/1240 दिनांक–18.10.2022 द्वारा दिनांक–31.03.2027 तक खनन पट्टा संचालनार्थ हेतु सशर्त सहमति प्राप्त है। **(प्रतिलिपि संलग्नित)**

4- संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने खनन कार्य से उत्खनित मलवा अपने खनन क्षेत्र में ही निस्तारित किया जा रहा है। खनन क्षेत्र का मलवा सरयू नदी की ओर निस्तारित होना नहीं पाया गया। खनन क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में प्रभावित सरयू नदी से जल का नमूना एकत्रित किया गया। जिसकी विश्लेषण आख्यानुसार जो Designated Best Use Water Quality Criteria के अनुसार श्रेणी बी के अन्तर्गत है। **(जाँच रिपोर्ट प्रतिलिपि संलग्नित)** पट्टाधारक के खनन कार्य से न ही सरयू नदी का जल प्रदूषित हो रहा है और न ही नदी की धारा अवरूद्ध हो रही है।

अतः उपर्युक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

श्रीमती मोनिका उपजिलाधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखण्ड	डॉ0 डी0 के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्दवानी, उत्तराखण्ड	27/12/23 डॉ0 देवेन्द्र कुमार सोनी, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ

फोटोग्राफ

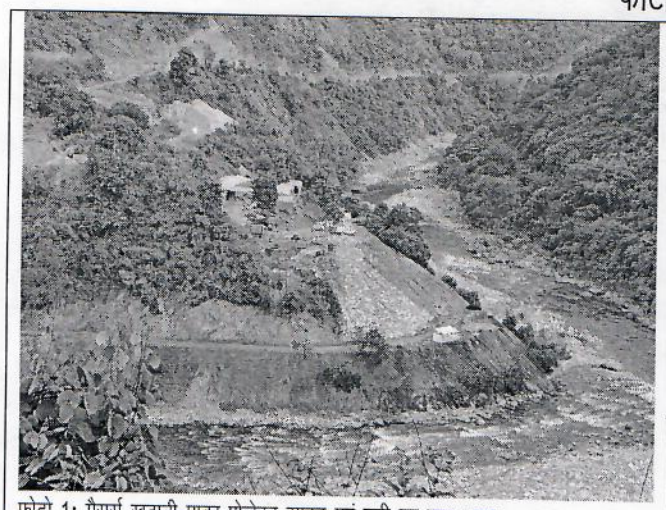

फोटो 1: मैसर्स खुटानी पावर प्रोजेक्ट साइट एवं नदी का मुक्त प्रवाह

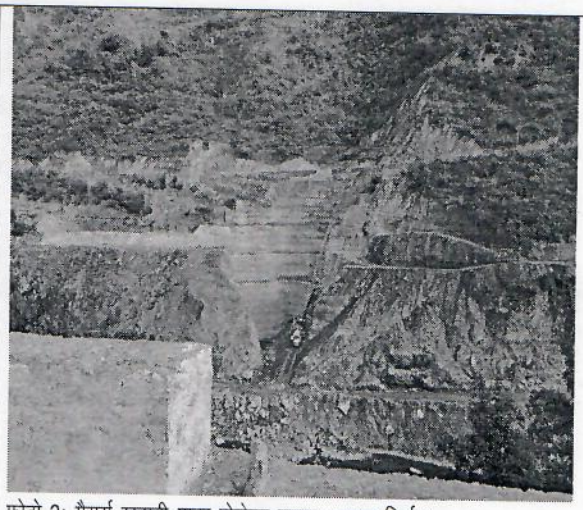

फोटो 2: मैसर्स खुटानी पावर प्रोजेक्ट साइट : टनल निर्माण

फोटो 3: संयुक्त समिति ने मै0 गणेश दत्त नैनवाल सोप स्टोन माइन की साइट का दौरा किया

फोटो 4: मै0 गणेश दत्त नैनवाल सोप स्टोन माइन साइट : निर्धारित प्रक्रिया का पालन न होना

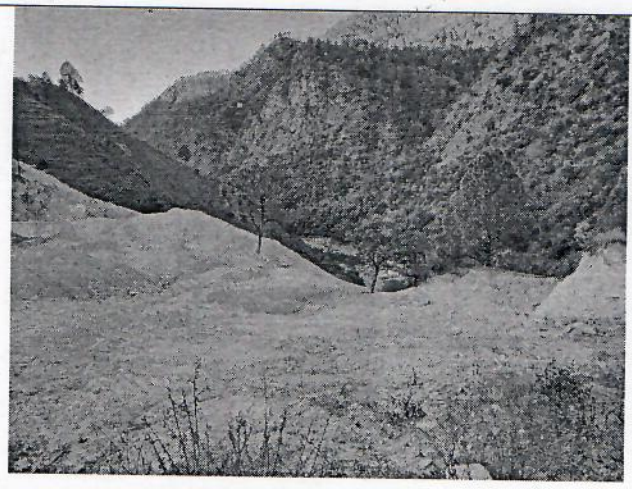

फोटो 5: मै0 गणेश दत्त नैनवाल सोप स्टोन माइन साइट

फोटो 6: मै0 गणेश दत्त नैनवाल सोप स्टोन माइन द्वारा नदी के किनारे फेंका गया मलबा

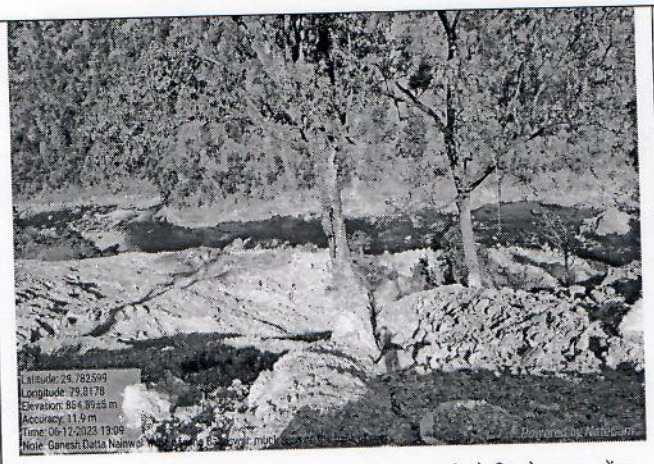

फोटो 7: मै0 गणेश दत्त नैनवाल सोप स्टोन माइन द्वारा नदी के किनारे मलबा फेंका गया

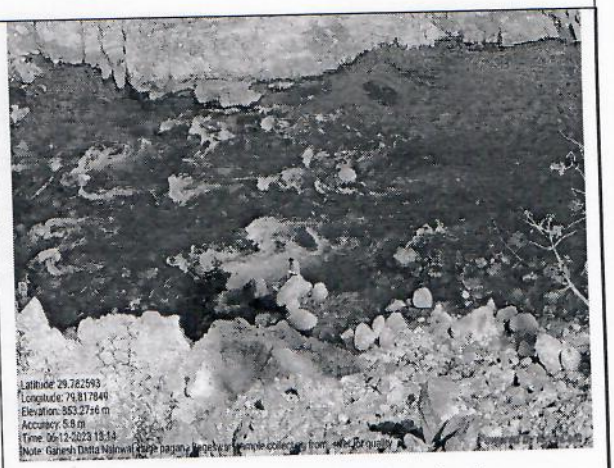

फोटो 8: मै0 गणेश दत्त नैनवाल सोप स्टोन माइन के किनारे नदी का मुक्त प्रवाह की स्थिति

फोटो 9: मै0 भरत सिंह भाकुनी पुत्र आनन्द सिंह भाकुनी सोप स्टोन माइन साइट

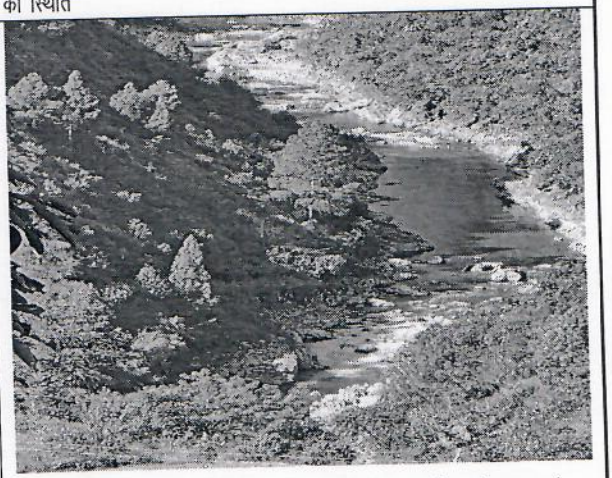

फोटो 10: मै0 भरत सिंह भाकुनी पुत्र आनन्द सिंह भाकुनी सोप स्टोन माइन के किनारे नदी का मुक्त प्रवाह और नदी के किनारे खदानों का कोई मलबा नहीं

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.10.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:–

1. The grievance raised in this letter petition is that the muck which comes out from khadiya Mines is thrown in River Saryu which is affecting the free flow of the river. Further allegation is that Khutani Power Company is operating a mobile stone crusher without any sanction and company has constructed a road on the Forest/panchayat/Civil land without any permission and the mining operation in District Bageshwar and Pithoragarh boundaries are being done in violation of the EC/CET/CTO condition/ environmental norms. It is stated that Khadiya Mines and Bhutani Power Project are on the same river and at a distance of 50-150 meters.

2. A perusal of the letter petition reveals that substantial issue relating to environment is involved in the matter.

3. Hence, at this stage, we deem it proper to form a joint Committee comprising of the Member Secretary, State PCB,representative of Member Secretary,CPCB and the District Magistrate, Bageshwar. The District Magistrate, Bageshwar will act as nodal agecy for coordination and compliance. The Committee will carry out the spot inspection and ascertain truthfulness of the allegations made in the letter petition and the extent of violation of environmental laws, if any, by the Project Proponent and submit a factual report. If the allegations are found to be correct, then appropriate orders will be passed for issuing the notice to the Project Proponent before taking any further action on the report.

4. Let the report be submitted on or before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF an not in the form of Image PDF.

5. List on 04.01.2024.

उपरोक्त आदेश के अनुसार सदस्य–सचिव,केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के प्रतिनिधि, सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के प्रतिनिधि व जिला मजिस्ट्रेट बागेश्वर की संयुक्त समिति गठित की गयी है जो याचिका/शिकायती पत्र में अंकित आरोपों की सत्यता एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन की सीमा, यदि कोई हो पता लगायेगी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मामले में जिला मजिस्ट्रेट,बागेश्वर को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा सुनवाई की तिथि दिनांक 04.01.2024 से पूर्व आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में गठित समिति में उपजिलाधिकारी,बागेश्वर को नामित किया जाता है।

प्रकरण में निम्नानुसार गठित समिति मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में मौके के संयुक्त निरीक्षण करने उपरांत अपनी तथ्यात्मक आख्या एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी:–

1. उपजिलाधिकारी,बागेश्वर।
2. सदस्य–सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।
3. सदस्य–सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

उपजिलाधिकारी,बागेश्वर संबंधित अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण की तिथि नियत

–2

नियत कर समिति की सुस्पष्ट तथ्यात्मक आख्या निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन से संबंधित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्याः–55 /तीस–खनन–एन0जी0टी0/2023–24 दिनांक 19 / 10 / 2023

प्रतिलिपि निम्नांकितों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ,वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में उक्त समिति में प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी भवन 46 बी आई0टी0 पार्क,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में उक्त समिति में प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।
3. उपजिलाधिकारी,बागेश्वर को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2023 की छायाप्रति सहित।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या– 432/रा0अ0–अवैध खनन जॉच/2022–23 दिनांक– 16 नवम्बर, 2023

01. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
02. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
03. भू वैज्ञानिक भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627/2023 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदया के आदेश संख्या–55/तीस–खनन–एन0जी0टी0/2023–24 दिनांक–19.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627/2023 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त जॉच आख्या एक माह के भीतर उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। मा0 हरित अधिकरण एवं जिलाधिकारी महोदया के आदेश के अनुपालन में उक्त निर्माण एवं खनन क्षेत्र के संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक–**04.12.2023** को समय पूर्वान्ह **11.30** बजे की तिथि नियत की जाती है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप नियत तिथि को उक्त खनन क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु मौका स्थल/खनन क्षेत्र में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिलिपि– 01. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी के इस आशय का साथ प्रेषित की उक्त निरीक्षण तिथि को मौका स्थल पर उपस्थित रहते हुए निरीक्षण उपरान्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे।

02. तहसीलदार काफलीगैर को इस आशय से प्रेषित की संयुक्त निरीक्षण तिथि को मय अभिलेख मौका स्थल पर उपस्थित रहने का कष्ट करें।

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के कम में खुटानी पावर कम्पनी एवं आस–पास के अन्य खनन पट्टों की जांच हेतु दिनांक–05.12.2023 को उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण।

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर	मोबाईल नम्बर
01	डा0 डी0के0 सोनी, वैज्ञानिक, CPCB, RDLko	CPCB, RD, Lko		9794996946
02	मोनिका S.D.M.	राजस्व		
03	डा0 डी0के0 जोशी क्षेत्रीय अधिकारी	UKPCB		
04	वीरेन्द्र सिंह खान अधिकारी	भूतत्व व खनिकर्म बागेश्वर		
05	दीपिका आर्या तहसीलदार	राजस्व		
06	पुष्कर सिंह	राजस्व		
07	सुशील कुमार रा0उ0नि	ऐ —		
08	सुरेश राठौर	ऐ —		
09	जसपाल सिंह सर्वेयर	खनन विभाग		
10	सुनील दत्त भू–वैज्ञानिक	ऐ —		
11	शुभम गुसाईं UKPCB	UKPCB		
12	विजय कुमार मिश्र	CPCB RD, Lko		
13	गणेश दत्त मैनवाल	पट्टाधारक मैनवाल माईन		
14	भरत भाकुनी पट्टाधारक	पट्टाधारक भाकुनी माईन		
15	अशोक कुमार	मैनेजर खुटानी पावर प्रोजेक्ट		

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/01/38/2018/एफ.सी/2183 दिनॉक: 17/01/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड,
देहरादून।

विषय: पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के अन्तर्गत 21 मेगावाट क्षमता की खुटानी लघ–जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 3.52 है0 वन भूमि का खुटानी पॉवर कम्पनी प्रा0लि0 को 40 वर्षो की लीज पर दिया जाना। **(Online Proposal No. FP/UK/ HYD/17611/2016).**

सन्दर्भ: वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1598/FP/UK/HYD/17611/2016 दिनांक 17.12.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UK/HYD/17611/2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 29.08.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना आख्या वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार **जनपद–पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के अन्तर्गत 21 मेगावाट क्षमता की खुटानी लघु–जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 3.52 है0 वन भूमि का खुटानी पॉवर कम्पनी प्रा0लि0 को 40 वर्षो की लीज पर दिया जाने** हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 7.04 है0 ग्राम–भानमती सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
3. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

7. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानो पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 35 trees (33 in Bageshwar FD & 2 in Pithoragarh FD) से अधिक न हो।
10. State Govt. will issue final G.O after submitting the CA scheme of Rs. 19, 61,802/-, in original.
11. The user agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir and canals (as applicable).
12. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.
13. The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.
14. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.
15. State Govt. shall ensure that the user agency shall comply the provisions of the all Rules, Regulation and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.
16. The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoin pillars etc.
17. The User Agency and the State Govt. shall ensure compliance to provisions of all Acts, Rules Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.
18. User Agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.
19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

17/11/09

(डॉ0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड
3. आदेश पत्रावली।

(डॉ0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

मुख्यालय
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून-248001

पत्रांक-यूईपीपीसीबी/एचओ/एनओसी-7298/2019/ 1707 दिनांक 28.1.2020

Registered/AD

सेवा में,

M/s Khutani Power Company Pvt. Ltd.,
Vill-Bankot, Teh-Pithoragarh,
Distt-Pithoragarh.

PCB ID : 19655
CTE : Fresh
Outward No-

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से पूर्व में स्थापित इकाई को क्षमता विस्तारीकरण हेतु स्थापनार्थ सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.11.2019 **(INWARD : 244310)** एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापनार्थ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Vill-Bankot, Teh-Pithoragarh, Distt-Pithoragarh.
(ख)उत्पादन	Generation of Electricity- 7x3=21MWH
(ग) मुख्य कच्चे माल :	----
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह :	NIL
(ङ.) प्रयुक्त ईंधन :	NIL

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित् करें।

3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि, उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।

5- घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा 2.0कि0ली0/दिन से अधिक नहीं होगी। जनित घरेलू उत्प्रवाह को सोकपिट के माध्यम से सेप्टिक टैंक में निस्तारित किया जाये।

6- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र **दिनांक जारी होने की तिथि से05वर्ष** तक की अवधि के लिए वैध होगा।

8- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।

9- उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थो को इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।

10- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न होवें। प्रदूषण सम्बन्धी जन -शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र रिवोक (निरस्त) कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्यमी का होगा।

11- उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित् पट्टिका हेतु सघन तथा छायादार वृक्षो का चयन किया जाये। हरित् पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।

12- उद्योग परिसर में रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाये।

13- उद्योग में परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेन्ट) नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट के विस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।
14- उद्योग में खतरनाक/परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989 का पालन किया जाये।
15- उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
16- उद्योग में प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु पृथक विद्युत मीटर की स्थापना सुनिश्चित की जाये। उक्त हेतु प्रतिदिन विद्युत/रसायनों की खपत का विवरण लाग बुक में दर्ज किया जाये।
17- उद्योग में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना बायलर/ओवन अतिरिक्त डी0जी0 सेट, फर्नेश आदि की स्थापना न की जाये।
18- यह स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। उद्योग सक्षम विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।
19- इंगित स्थल के विधिक भूमि उपयोग एवं नियमानुसार अन्य विभाग से वांछित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
20- विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नदी जल की मात्रा 50 CUM/Sec से अधिक नहीं होगी, नदी के ई. प्रवाह को शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार नियमित करते हुए पुनः नदी में निस्तारित किया जाना होगा।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनार्थ सहमति पत्र (CTE) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31.01.2020 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित् की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित् की जाये, अन्यथा स्थापना सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(एस.पी. सुबलि)
सदस्य सचिव

पृ0 सं0 एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)
UKPCB
Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ रेट/485/23/1567-551 Dt- 18/10/2023

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय– मै0 खुटानी पावर कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–बनकोट तहसील गणाई गंगोली जनपद–पिथौरागढ़ में बिना स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये स्टोन केशर की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं–485/2023, दीवान सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित किये गये आदेश दिनांक 04/08/2023 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा मै0 खुटानी पावर कम्पनी प्रा0लि0 ग्राम–बनकोट तहसील गणाई गंगोली जनपद–पिथौरागढ़ में 21 मेगावाट क्षमता के निर्माणाधीन विद्युत परियोजना का निरीक्षण दिनांक 26.09.2023 को किया गया है। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन परियोजना के मलवा निस्तारण स्थल–1 बटगेरी के पास राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये स्टोन केशर के रैम्प एवं डक यार्ड स्थापना का कार्य निर्मित पाया गया तथा वर्तमान तक इकाई द्वारा स्थापनार्थ सहमति हेतु बोर्ड की ऑनलाईन व्यवस्था में आवेदन नहीं किया गया है जोकि जल/वायु अधिनियमों तथा ई0पी0 एक्ट का उल्लंघन है।

अतः मै0 खुटानी पावर कम्पनी प्रा0लि0 को को कारण बताओं नोटिस निर्गत करने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति निम्न घटकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

S.No	Factor	Value
1	Pollution Index of Industrial Sector (PI)	40
2	Numbers of days of voilation (N)	संयुक्त निरीक्षण तिथि 26.09.2023 से उद्योग द्वारा अनुपालन किये जाने की तिथि तक।
3	A Factor in Rupees for EC (R)	100/-
4	Factor for Scale of operation (S)	0.5
5	Location Factor (LF)	1
6	Violation Factor (VF)	1.5

भवदीय

(डॉ0 डी0के0जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या:2328/VII-A-1/2021/135 ख/2014
देहरादून, दिनांक05 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

श्री गणेश दत्त मैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त निवासी ग्राम पगना जनपद व तहसील बागेश्वर के पक्ष में शासनादेश संख्या 2024/VII-1/135–ख/2014 दिनांक 02–01–2017 द्वारा जनपद बागेश्वर की तहसील काफलीगैर के ग्राम पगना में आशय पत्र पर स्वीकृत 13.996 है0 क्षेत्रफल पर 50 वर्ष की अवधि के लिए खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु आशय पत्र निर्गत हुआ है।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या –3855/मु0ख0/126/सोपस्टोन/76/बागे0/खनन/भू0खनि0ई0/(2007–08) दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री गणेश दत्त मैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त निवासी ग्राम पगना जनपद व तहसील बागेश्वर के पक्ष में प्रस्तगत प्रकरण में आशय पत्र की शर्तो की अनुपालना में अद्यतन हुये लगभग 53 माह के विलम्ब का मर्षण का करते हुए उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानानुसार जनपद बागेश्वर की तहसील काफलीगैर के ग्राम पगना में आशय पत्र पर स्वीकृत 13.996 है0 सीमांकित 12.418 है0 भूमि में खनन पट्टा 50 वर्ष की अवधि हेतु निम्नवत स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क्र0 सं0	खनिज का नाम	सोपस्टोन
1.	क्षेत्रफल	जनपद बागेश्वर की तहसील काफलीगैर के ग्राम पगना में आशय पत्र पर स्वीकृत 13.996 है0 सीमांकित 12.418 है0 में जोतदार के नाम दर्ज श्रेणी 1(क) की भूमि का क्षेत्रफल 09.324 है0, श्रेणी (5) की भूमि का क्षेत्रफल 0.623 है0, राज्य सरकार की भूमि का क्षेत्रफल 02.361 है0 व सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.110 है0 है। इस प्रकार आवेदित क्षेत्रान्तर्गत कुल भूमि का रकबा 12.418 है0 भूमि को सम्मिलित किया गया है जो एक सहत खण्ड में है।
2.	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 50 वर्ष
3.	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
4.	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड, उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5.	जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान (डी0एम0एफ0)	शासनादेश दिनांक 14 फरवरी 2018 के प्राविधानानुसार रायल्टी का 25 प्रतिशत।
6.	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार ।

अतिरिक्त शर्तें:

7.1 शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नही किया जाता है तो, शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अनुसार वनभूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3 आवेदकगण को खनन पट्टा विलेख की शर्तो/शासकीय आदेशों/निदेशालय द्वारा जारी आदेशों/खनन नियमों/शासनादेशों/ स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4 आशय पत्र पर स्वीकृत 13.996 है0 सीमांकित 12.418 है0 क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की कुल भूमि 0.110 है0 क्षेत्रफल में खनन कार्य निषिद्व होगा तथा राज्य सरकार की भूमि 02.361 है0, का राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार Lease rent का भुगतान जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा निर्धारित विधि एवं दर से राजकोष में जमा किया जायेगा।

7.5 प्रस्तावित स्थल से सोपस्टोन के अतिरिक्त अन्य खनिजों के निकलने की दशा में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये अन्य खनिजों का दोहन/निकासी ना किये जाने की व्यवस्था की गयी है का उल्लेख किया गया है। कार्यालय के पत्र संख्या 1917/मु0ख0/खनन/141/भू0खनि0ई0/2020–21 दिनांक 07 नवम्बर 2020 के द्वारा खनिज सोपस्टोन के आवेदित क्षेत्रों में उपलब्ध मैग्नेसाईट, लाईम स्टोन की उपलब्धता के सम्बध में

(Limit) का निर्धारण किये जाने हेतु कन्ट्रोलर जनरल खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो इन्दिरा भवन सिविल लाईन्स नागपुर से मार्ग-दर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अद्यतन तक मार्ग-दर्शन अपेक्षित है। आवेदक के पक्ष खनन पट्टा स्वीकृति के उपरान्त खनन कार्य के दौरान निकलने वाले अन्य खनिज तथा मुख्य खनिज को एकत्रित कर रखेगा जिसका निस्तारण भारतीय खान ब्यूरो इन्दिरा भवन सिविल लाईन्स नागपुर से प्राप्त होने वाले दिशा-निर्देशानुसार के अनुसार निस्तारण किया जाना होगा।

7.6 आवेदकगण द्वारा उत्तराखण्ड राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड, 653 इंदिरा नगर कालोनी सीमाद्वार रोड, देहरादून से पर्यावरण अनुमति संख्या 224-01(107)/2019, दिनांक 25.05.2021 की समस्त शर्तों की अनुपालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7.7 आवेदकगण द्वारा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून से खनन पट्टा विलेख से पूर्व CTO प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

7.8 भूस्वामियों की सहमति के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी बागेश्वर के पत्र संख्या 1658/रीडर-खनन जांच/2020-21 दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक के आवेदन पत्र के साथ पूर्व में 43 भूमिधरों की अनापत्तियां प्राप्त थी। जिनका अंश सत्यापन उपरान्त 4.582 है0 आता है। वर्तमान में आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 12 भूमिधरों की अनापत्ति पुनः प्रस्तुत की गयी है। सत्यापन उपरान्त जिनका अंश 01.303 है0 आता है। पट्टाधारक खनन किये जाने वाले खेत/खसरा की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय में देगा। जिस खेत/खसरा में खनन हो रहा है, उसके भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छायाप्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने से 15 दिन पूर्व जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7.9 खनन पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु स्टाम्प ड्यूटी का आगणन उप निबंधक बागेश्वर से कराया जाना होगा।

7.10 पट्टाधारक द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमोदित खनन योजना में प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में खनिज की निकासी के समय प्रभावी रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त रायल्टी की धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्षक 0853 अलौह धातू खनन, एवं धातूकर्म उद्योग, 102 खनिज रायल्टी शुल्क एवं स्वत्व, 01 खनिज रियायती शुल्क एवं स्वत्व शुल्क में जमा कराया जाना होगा।

(ख) खनन पट्टाकृत भूमि के लिए अपरिहार्य भाटक का भुगतान केवल उस दशा में लागू होगा जबकि खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अपरिहार्य परिस्थितियों में पट्टाधारक द्वारा खनिज का उत्पादन/निकासी किया जाना सम्भव न हो। पट्टाधारक द्वारा उल्लिखित अपरिहार्य परिस्थितियों का आकलन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

7.11 पट्टाधारक खनिज सोपस्टोन की रायल्टी की दर के 25 (पच्चीस) प्रतिशत का भुगतान जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के बैंक खाते में पृथक से जमा करेगा।

7.12 उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की अनुसूची-1 रायल्टी व 2 अपरिहार्य भाटक के अन्तर्गत किराया (रायल्टी) (यहाँ के बाद 'कथित' नियमावली कहलायेगी) द्वारा अधिसूचना सं0 211/VII-1/24-ख/2007 दि0 26-2-2016 एवं अधिसूचना सं0 1757/VII-I/24-ख/2007 दि0 22-11-2016 एवंम यथा संशोधित नियमावली यदि इन प्रपत्रों की नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत कोई किराया, रायल्टी या अन्य राशि जो राज्य सरकार को देय हो का भुगतान पट्टेदार द्वारा समयसीमा में नहीं किया जाता तो उसे 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष सामान्य ब्याज के साथ उससे उत्तराखण्ड सरकार के एक प्रमाण-पत्र पर भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जायेगा।

7.13 निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा खनन योजना/स्कीम ऑफ माईनिंग हेतु जारी दिशा निर्देश सम्बन्धी पत्र संख्या 1762/ खनन/गौण खनिज-माईनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015-16 दिनांक 31 अक्टूबर 2015, पत्र सं0 301/मु0ख0/26(टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015-16 दिनांक 17 जून 2020 एवं संख्या 302/मु0ख0/26(टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015-16 दिनांक 17 जून 2020 के सम्बन्ध में कुमाऊं माइन एसोशियेशन उत्तराखण्ड के प्रत्यावेदन दिनांक 29-07-2021 के क्रम में सचिव खनन की अध्यक्षता में दिनांक 04-08-2021 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-4 खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनिज की गुणवत्ता/सत्यापन हेतु Core Drilling के सम्बन्ध में शासन द्वारा किये जाने वाले अन्तिम निर्णय प्रश्नगत प्रकरण में लागू होगे। जो कि पट्टाधारक को मान्य होगा।

अतएव यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों के आधार पर आशय पत्र पर स्वीकृत 13.996 है0 सीमांकित 12.418 है0 भूमि पर सोपस्टोन का खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हो, तो अपनी लिखित सहमति एवं खनन पट्टा विलेख भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून कार्यालय के माध्यम से आलेख को भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निर्धारित स्टाम्प पर टंकित करवा कर शासन को प्रस्तुत करना होगा।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या:2320 / VII-A-1 / 2021 / 135 ख / 2014 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।

2– जिलाधिकारी, बागेश्वर।

3– श्री गणेश दत्त नैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त निवासी ग्राम पगना जनपद व तहसील बागेश्वर को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

कार्यालय
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपाल पानी पो0 बडासी,देहरादून।

संख्या मुख्य खनिज– /खनन योजना—163 / भू0खनि0ई0/2019–20 दिनांक 21 जून,2019

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 सं0 2024/VII-1/135–ख/2014 दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा श्री गणेश दत्त नैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त नैनवाल, निवासी ग्राम पगना तहसील व जिला बागेश्वर के पक्ष में ग्राम पगना, तहसील व जिला बागेश्वर में आशय पत्र पर स्वीकृत 13.996 है0(सीमाबन्धन के उपरान्त राजस्व गणनानुसार क्षेत्रफल 12.418है0) भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति 2015 (यथा संशोधति 2017) के प्राविधानानुसार 50 वर्ष की अवधि हेतु खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत किया गया है, से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना जो श्री भुवन जोशी अर0क्यू0पी पंजीकरण सं0 मु0ख0/आर0क्यू0पी0/डी0डी0एन/01/2016 द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1 /2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रस्तर– 3 (दो) (1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं निदेशालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज–माईनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015–16 दिनांक 31 अक्टूबर 2015 द्वारा माईन प्लान, माईन क्लोजर प्लान, स्कीम आफ माईनिंग हेतु जारी गाईड लाईन के दृष्टिगत मैकनाइज्ड माईनिंग से विना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के **प्रथम वर्ष में 13356 टन , द्वितीय वर्ष में 14167 टन, तृतीय वर्ष में 18323 टन, चतुर्थ वर्ष में 22039 टन पंचम वर्ष में 26330 टन** के उत्पादन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जाती है:

शर्तें/प्रतिबन्धः–

1. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा प्रख्यापित गौण खनिज नीति–2015 के समस्त शर्तो का अनुपालन पट्टाधारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र सं0 2024/VII-1/135–ख/2014 दिनांक 02 जनवरी, 2017 (Letter of Intent) की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
3. आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं तदनुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
4. प्रकरणगत प्रकरण में आवेदक के पक्ष में जारी आशय पत्र सं0 दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा प्रदत्त 06 माह की समयावधि आशय पत्र के निर्गत तिथि दिनांक 02 जनवरी, 2017 से 01–06–2017 को समाप्त हो चुकी है, जिसमें 02 वर्ष का विलम्ब हो चुका है। प्रकरण में शासन से अग्रेत्तर समय सीमा विस्तार प्राप्त न होने की दशा में उक्त खनन योजना की वैद्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
5. पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व मशीनकृत माईनिगं हेतु 2.0 लाख की बैंक गारन्टी निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक द्वारा खनन कार्य हेतु एक्सकैवेटर के प्रयोग की अनुमति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार खान सुरक्षा महानिदेशालय गाजियाबाद क्षेत्र गाजियाबाद से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
7. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
8. खान अधिनियम 1952 के अधीन प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी होगी।
9. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।

10. खनन योजना में खनन कार्यो के उपरान्त बने हुये गढ्ढो का भरान किया जायेगा तथा सुरक्षा दीवार भूअभियांत्रिकीय तकनीकी द्वारा बनायी जायेगी।
11. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
12. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
13. प्रत्येक वर्ष खनन क्षेत्र के स्थायित्व हेतु भूवैज्ञानीय आंकलन किया जाना होगा एवं सम्बन्धित जिला भूवैज्ञानिक अधिकारी व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
14. खान अधिनियम 1952 के अर्न्तगत खान को चालू करने की सूचना, भूवैज्ञानिक , खान प्रबधक एवं अन्य वैधानिक नियुक्तियों को अधिसूचित करने सहित उक्त अधिनियिम के सभी नियमों एवं उपनियमों की पालना की जाएगी।
15. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
16. खान अधिनियम के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
17. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
18. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
19. आवेदक के द्वारा खनन पट्टे का जी0एस0टी नं0 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. भू–सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू–संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए और तत्सबंधी दस्तावेज तीन माह में प्रस्तुत किया जायेगा।
21. अनुमोदित खनन योजना की एक–एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/पट्टाधारक का होगा।

संलग्नकः खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

पृष्ठांक 634 मुख्य खनिज– /खनन योजना—163/ भू0खनि0ई0/2018–19 तददिनांकित

1. अपर सचिव खनन उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सदस्य सचिव जिलास्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) बागेश्वर
5. सहायक भूवैज्ञानिक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
6. श्री गणेश दत्त नैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त नैनवाल, निवासी ग्राम पगना तहसील व जिला बागेश्वर द्वारा श्री भुवन जोशी, आर0क्यू0पी0 म0नं0–6 कमल भवन, विजय कालोनी, लेन नं0–1 देहरादून ।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

Category-OFM

MINING PLAN
WITH
PROGRESSIVE MINE CLOSURE PLAN

(Submitted under Uttarakhand Notification No. 844/VII-1/2015/68-Kha/2015 Dated 31/07/2015 and Notification No. 1589/VII-1/2015/68-Kha/2015 Dated 07/10/2015)

Village- Pagana
Tehsil- Kafaligair
District- Bageshwar
NAME OF THE MINERAL- SOAPSTONE
TOTAL AREA: 12.418 ha. (None Forest)
Mining Plan Period-For Five (5) Years, From Lease Deed Registration Date

जी.डी. प्रसाद
उप निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

VIEW OF PROPOSED LEASE AREA

APPLICANT/LESSEE

Sh. Ganesh Datt Nainwal S/o Sh. Kesaw Datt Nainwal
Village- Pagana, Bageshwar, District- Bageshwar
Uttarakhand

PREPARED BY

BHUWAN JOSHI
Empanelled Geologist, RQP- IBM, UK, HP, J&K
Forest & Rural Development Cell (FRDC)
Empanelment No. *URRDA/2008-09/3190*
Govt. of Uttarakhand
RQP, Registration No.*RQP/DDN/180/2009/A*
Indian Bureau of Mines
Govt. of India
Mu.Kha./RQP/DDN/01/2016

Progressive Geological & Geotechnical Services (PG2S)
REGD. OFFICE
House No.-6, Kamal Bhawan
Vijay Colony, Lane No.-1, Dehradun
Uttarakhand
E-mail: [illegible]
Mo. No. 09412152105

APPROVED
अनुमोदित

उप निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

Regional Office

Uttarakhand Pollution Control Board

Awas Vikas Colony

Haldwani

Analysis Report on Surface water

Name of River/Lake	Saryu River District-Bageshwar
Sample Collected by	Dr. D.K Soni (R.D CPCB) Dr. D.K Joshi (R.O UKPCB) Smt. Monika (SDM Bageshwar) Sh. Virendar Kumar (DGM Bageshwar)
Date of Collection of Sample	06.12.2023
Date of completion of analysis	13.12.2023
Sampling point	D/s of Ganesh Dutt Nainwal Mine, Pagna District-Bageshwar

S.No.	Parameters	Values	Test Method
1	Colour	Colourless	Visual
2	Odour	Odourless	Sensory
3	Temperature(°c)	12	By Thermometer
4	pH	7.33	Electrometric
5	E Conductivity (µmohs/cm)	360	Electrometric
6	BOD (mg/L)	1.8	Titrimetric Method
7	COD (mg/L)	5.0	Dichromate Reflux
8	Hardness (mg/L) as $CaCO_3$	278	EDTA method
9	Calcium (mg/L) as $CaCO_3$	160	EDTA method
10	Magnesium (mg/L) as $CaCO_3$	118	By Calculation
11	Alkalinity (mg/L)	188	Visual titration
12	Chloride (mg/L)	13	Argentrometric
13	Total Dissolved Solids (mg/L)	249	Electrometric

Scientific Assistant

Asstt. Scientific Officer

Regional Officer

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून-248001

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/एनओसी-7352/2021/ 911 दिनांक 05-11-2021

सेवा में,

M/s Ganesh Dutt Nainwal,
Vill-Pagana, Tehsil-Kafligar,
Distt- Bageshwar.

Registered/AD

CAF ID - 29727
CTE : Fresh

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.08.2021 (Application No.- 1648678) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापनार्थ सहमति (Consent to Establish) पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Vill-Pagana, Tehsil-Kafligar, Distt- Bageshwar (Total mining area – 12.418 Hectare)
(ख) उत्पादन :	Soapstone – 26330 MT per Year
(ग) मुख्य कच्चे माल :	Soapstone - 26330 MT per Year
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह :	NIL
(ड.) प्रयुक्त ईंधन :	NIL

2- चुगान/खनन क्षेत्र में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित् करें।

3- चुगान/खनन क्षेत्र में परीक्षण संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल सहमति एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4- चुगान/खनन क्षेत्र में खनन कार्य से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।

5- जनित घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक के माध्यम से सोक-पिट में निस्तारित किया जाये।

6- इकाई प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र जारी होने की तिथि से 05 वर्ष तक के लिये वैध होगा।

8- चुगान/खनन क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थो को इस प्रकार निस्तारित किया जाये, कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे। खनन/चुगान कार्य से जनित over burden का नियमानुसार प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाये। खनन विभाग द्वारा अनुमोदित Progressive Mine Closure Plan का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9- चुगान/खनन कार्य का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न होवें। प्रदूषण सम्बन्धी जन - शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र रिवोक कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्यमी का होगा।

10- चुगान/खनन क्षेत्र में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

11- चुगान/खनन हेतु State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttarakhand द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति सं0-224-01(107)/2019, दिनांक 25.05.2019 में वर्णित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

12- विषयगत खनन स्थल पर खनन/चुगान कार्य सक्षम स्तर से अनुमोदित Approved Mining Plan के अनुसार ही किया जाये तथा खनन/चुगान कार्य मात्र सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जाये।

13- इकाई चुगान/खनन कार्य इस प्रकार किया जाये कि जल एवं वायु प्रदूषण की समस्यायें उत्पन्न न होंवे। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार जल छिड़काव की व्यवस्थायें की जाये ताकि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।

14- विषयगत स्थल पर खनन/चुगान कार्य मात्र Open cast semi mechanized method without adopting drilling & blasting operation द्वारा किया जाये।

15- खनन/चुगान कार्य इस प्रकार सुनिश्चित् किया जाये कि खनन/चुगान से नदी/जल धारा का प्राकृतिक प्रवाह किसी भी दशा में बाधित न होंवे तथा समीपवर्ती जल स्त्रोतों की गुणवत्ता किसी भी दशा में प्रभावित न होवें।

16- खनन/चुगान से प्राप्त रेता/बजरी/पत्थर के परिवहन हेतु आबद्ध वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित् की जाये, ताकि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।

17- विषयगत स्थल पर खनन/चुगान कार्य के साथ-साथ Progressive Mine Closure Plan का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

18- खनन/चुगान कार्य मात्र सक्षम स्तर से सीमांकित क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया जाये। सीमांकन हेतु पक्के/स्थाई पीलर्स की स्थापना की जाये एवं खनन क्षेत्र का पूर्व विवरण यथा-नाम, क्षेत्रफल, लीज़ की अवधि, खनन की मात्रा आदि हेतु डिस्पले बोर्ड स्थापित किया जाये।

19- प्रतिदिन/प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता किसी भी दशा में खनन विभाग द्वारा जारी अनुमति से अधिक न की जाये।

20- खनन/चुगान हेतु समय-समय पर शासन/सक्षम स्तर से प्रेषित् आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

21- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। आवेदक सक्षम विभागों से आवश्यक रूप से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापना हेतु सहमति (CTE) पत्र निरस्त कर दिया जयेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में खनन क्षेत्र द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 29.10.2021 तक अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित् की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना हेतु सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

पृ0 सं0 एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

UKPCB

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : nisukpcb@yahoo.com
Ph. No. 2976157, 2976158, 2607092

UKPCB/HO/Con/ G-236/2022/ 1413

Date : 24.11.2021
REGD. POST

To,

Sh. Ganesh Dutt Nainwal,
S/o. Sh. Kesaw Dutt Nainwal,
Vill. Pagana, Distt. Bageshwar.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2)" of the "Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as **Water Act, Air Act** and **HW Rules** respectively).

CAF ID - 29727	**Application No. – 1648669**
CCA (Fresh)	**Date :- 02.11.2022**

CCA is hereby granted to **Sh. Ganesh Dutt Nainwal, S/o. Sh. Kesaw Dutt Nainwal** for mining of Soapstone at **Vill. Pagana, Tehsil Kafligar, Distt. Bageshwar** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted for the period upto 31.03.2023** and valid for mining of following product(s) with **Capital Investment/Net Assets Values ₹ 35.0 Lacs.** :-

S. No.	CTE		Present CCA (Fresh)	
	Product	Quantity (Per Year)	Product	Quantity (Per Year)
1	Soapstone	26330 MT	Soapstone	26330 MT

2. **Specific Conditions under Water Act :-**

(i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-**

	CTE	Present CCA (Fresh)
Trade Effluent	Nil	Nil
Sewage	Nil	1.0

(ii) **Trade Effluent Treatment and Disposal :-** .....Nil.....

(iii) **Sewage Treatment and Disposal** :- The applicant shall provide comprehensive Septic Tank/Soak pits as is required with reference to influent quantity and quality.

3. **Conditions under Air Act :-**

(i) The applicant shall not use any fuel.

(ii) Unit has to maintain ambient air quality and ensure that the same be kept within norms as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986.

(iii) Unit has to follow ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. **Conditions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** :- There shall not be any hazardous waste, hence this rule is not applicable.

5. This CCA is valid for Extraction/mining of Soapstone by the process of Open cast semi mechanized method without adopting drilling & blasting operation only.

6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit** :-
   (i) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986.**
   (iii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.**

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the **Water Act, Air Act** and **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** will results in legal action under the aforesaid **Acts and Rules.**

Member Secretary

Copy to: **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Distt. Nainital** for information and compliance of the same.

Environment Engineer

Annexure

Specific Conditions:

1. The Occupier shall under take mining in conformity with approved Mining Plan with the conditions and Rules prescribed in this regard, and instruction issued time to time.
2. The Occupier shall make permanent piller(s) along the boundary of the mining area and shall display details as- Name of Occupier, Lease Date & Validity, Lease Area etc. at prominent place.
3. The Occupier shall ensure that whatever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
4. The Occupier shall ensure regular water sprinkling in critically prone to air pollution and having high levels of Particulate Matter (PM) such as loading and unloading points and all transfer points.
5. The Occupier shall undertaken adequate safeguard measures during extraction of minor minerals and ensure that due to this activity the hydro-geological refine of surrounding area shall not be affected.
6. Vehicular emission shall be kept under Control and regularly monitored. The mined material/over burden shall be carried out through the covered vehicles only and vehicles carrying the mined material/over burden shall not be overloaded.
7. Mining of soap stone only shall be carried out as per approved mining plan. Drilling/blasting etc shall be carried out only after prior approval of the Competent Authority.
8. Periodical medical examination of workers engaged in mining activity shall be carried out and records maintained.
9. The Occupier shall take all precautionary measures during mining operation for conservation & protection of endangered fauna & flora etc.
10. No change shall be made in mining technology and scope of mining work without prior approval of competent authority.
11. Mining shall be carried out in stipulated time and duration as permitted by competent authority.
12. The Occupier shall comply with the directions/instructions issued by the competent authority from time to time.
13. The Occupier shall strictly adhere to the conditions of Environment Clearance issued by the competent authority & provisions of approved mining plan, scrupulously.
14. The occupier shall comply with the Environment Management Plan and shall execute proposed environment management activities, scrupulously.
15. Overburden generated from the mining process shall be managed and restored as per approved mining plan. Illegal disposal/dump of overburden shall be treated as non compliance.
16. The Occupier(s) shall mark the mining area as per allotted mining lease by Competent Authority and mining shall be carried out only in approval mining area.
17. The Occupier shall ensure to submit Ambient Air Quality Report at quarterly basis.
18. The Occupier shall strictly adhere to **Approved Mining Plan with Progressive Mining Closure Plan** duly approved by the competent authority. In case of non-compliance, this CCA shall stand withdrawn.
19. The Soapstone mining capacity shall not exceed the mining capacity as permitted by the Directorate of Geology & Mining, Uttarakhand.
20. The Occupier shall strictly adhere to condition of Consent to Establish and CCA issued by this Board.
21. Mining and other allied activities shall be carried out such a way so that ambient air quality of the area does not exceed the prescribed limit.
22. The Occupier shall strictly adhere to the provisions of the Water Act, Air Act, Environment (Protection) Act, and Rules/Notifications made thereunder.
23. **The applicant shall strictly avoid the usage of single use plastics in the premises as per the list of banned single use plastics mentioned in the notification of MoEF&CC, Government of India dated 12.08.2021 and notification of Uttarakhand Government issued vide letter no. 84/XXVIII-1-20-13(II)/2001 dated 16.02.2021.**

O/C

General Conditions:-

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF&CC and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
11. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
12. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without permission of Board.

Environment Engineer

निरीक्षण आख्या

कृपया मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम औद्योगिक नीति एवं संर्वधन विभाग में पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 तथा कार्यालय उपजिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या–432/रा0अ0–अवैध खनन जॉच/2022–23 दिनांक 16.11.2023 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.12.2023 व 05.12.2023 को क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ, उपजिलाधिकारी बागेश्वर तथा जिला खनन अधिकारी बागेश्वर की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। निरीक्षण के दौरान संदर्भित शिकायती स्थल के निकट स्थित मै0 गणेश दत्त नैनवाल की सोप स्टोन माईन का भी निरीक्षण किया गया है। जिसकी आख्या निम्नवत है:–

1. मै0 गणेश दत्त नैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त नैनवाल द्वारा ग्राम–पगना, जिला–बागेश्वर (कुल क्षेत्रफल 12.418) पूर्व में सोप स्टोन खनन कार्य किया गया है। निरीक्षण के दौरान माईन में खनन कार्य नहीं किया जा रहा था तथा इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि खनन पट्टा क्षेत्र में विगत माहों से खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. इकाई को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2328/VII-A-I/2021/135 क/2014 देहरादून दिनांक 05.01.2022 द्वारा जनपद बागेश्वर की तहसील काफलीगैर के ग्राम–पगना में कुल रकवा 12.418 है0 भूमि में खनन पट्टा 50 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है। (संलग्नक–01)
3. इकाई को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, देहरादून, उत्तराखण्ड के ई0सी0 नम्बर–224–01(107)/2019 दिनांक 25.05.2021 द्वारा अनुमानित मात्रा–26330 टन प्रति वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। (संलग्नक–02)
4. इकाई की खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना कार्यालय निर्देशक भू–त्तव एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या–मुख्य खनिज/खनन योजना–163/भू0खनि0ई0/2019–20 दिनांक 21.06.2019 द्वारा 05 वर्ष की हेतु स्वीकृत की गयी है। (संलग्नक–03)
5. इकाई को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/एन0ओ0सी0–7352/2021/911 दिनांक 05.11.2021 द्वारा स्थापनार्थ सहमति तथा बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सहमति/ जी–236/2022/1413 दिनांक 24.11.2021 द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक संचालनार्थ सशर्त सहमति प्राप्त है। (संलग्नक–04) इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पूर्व निर्गत संचालनार्थ सहमति का अनुपालन संयुक्त निरीक्षण के दौरान न किये जाने के कारण बोर्ड की ऑनलाईन व्यवस्था में इकाई के सहमति आवेदन को अस्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।
6. संयुक्त निरीक्षण के दौरान खनन से पूर्व में निस्तारित मलवा रिटर्निंग वॉलज के ढहने के कारण खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर सरयू नदी के तट की ओर ढालदार भू–भाग में गिरा पाया गया तथा इकाई द्वारा माईनिंग क्षेत्र में वर्षा जल के निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था नहीं की गयी है। वर्षा /भूस्खलन के कारण मलवा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर सरयू नदी में जाने से नदी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। (संलग्नक–05)
7. संयुक्त निरीक्षण के दौरान माईनिंग क्षेत्र से सरयू नदी की डाउन स्ट्रीम से जल नमूना एकत्रित किया गया है जिसकी विश्लेषण आख्या की प्रति संलग्न है। जो Degnated Best use water Quality Criteria के अनुसार श्रेणी–बी के अंतरगत है। (संलग्नक–06)

उपरोक्तानुसार इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पूर्व निर्गत संचालनार्थ सहमति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पट्टाधारक के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु घटक निम्नवत है:–

S.No	Factor	Value
1	Pollution Index of Industrial Sector (PI)	40
2	Numbers of days of voilation (N)	Date of Registration of OA No 627/2023 (Date 09-10-2023) to Date of Joint inspection (Date 05-12-2023) Total days of violation- 58
3	A Factor in Rupees for EC (R)	100/-
4	Factor for Scale of operation (S)	0.5
5	Location Factor (LF)	1
6	Violation Factor (VF)	1

अतः उपरोक्तानुसार मै0 गणेश दत्त नैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त नैनवाल द्वारा ग्राम–पगना, जिला–बागेश्वर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु घटक तथा कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जानी उचित प्रतित होती है।

(शुभम गुसाई)
अवर अभियन्ता

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

M.S. Sir

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Dt- 12/12/23

Ref: UKPCB/ROH/ RC/23/2200-973

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

विषय– मै0 गणेश दत्त नैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त नैनवाल द्वारा ग्राम–पगना, जिला–बागेश्वर को कारण बताओं नोटिस निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 तथा कार्यालय उपजिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या–432/रा0अ0–अवैध खनन जॉच/2022–23 दिनांक 16.11.2023 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.12.2023 व 05.12.2023 को क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ, उपजिलाधिकारी बागेश्वर तथा जिला खनन अधिकारी बागेश्वर की उपस्थिति में कार्यालय द्वारा मै0 गणेश दत्त नैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त नैनवाल द्वारा ग्राम–पगना, जिला–बागेश्वर का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान इकाई द्वारा खनन से पूर्व में निस्तारित मलवा रिटर्निंग वॉलज के ढहने के कारण खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर सरयू नदी के तट की ओर ढालदार भू–भाग में गिरा पाया गया तथा इकाई द्वारा माईनिंग क्षेत्र में वर्षा जल के निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था नहीं की गयी है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पूर्व निर्गत संचालनार्थ सहमति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। महोदय अवगत कराना है कि उक्त के कम में बोर्ड की ऑनलाईन व्यवस्था में इकाई के सहमति आवेदन को अस्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।

उपरोक्तानुसार इकाई द्वारा माईन का संचालन पर्यावरणीय स्वीकृति तथा निर्गत संचालनार्थ सहमति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः पट्टाधारक के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु घटक निम्नवत हैः–

S.No	Factor	Value
1	Pollution Index of Industrial Sector (PI)	40
2	Numbers of days of vollation (N)	Date of Registration of OA No 627/2023 (Date 09-10-2023) to Date of Joint inspection (Date 05-12-2023) Total days of violation- 58
3	A Factor in Rupees for EC (R)	100/-
4	Factor for Scale of operation (S)	0.5
5	Location Factor (LF)	1
6	Violation Factor (VF)	1

अतः उपरोक्तानुसार मै0 गणेश दत्त नैनवाल पुत्र श्री केशव दत्त नैनवाल द्वारा ग्राम–पगना, जिला–बागेश्वर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु घटक तथा कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय

(डॉ0 डी0के0जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun
E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No.-0135-2607092

Letter No: UKPCB/HO/Con/G-236 /2023/ 1319 Date: 29.12.2023

Speed Post

CAF ID-29727
CCA- Renewal

To,

M/s Sh. Ganesh Dutt Nainwal,
S/o Sh. Kesaw Dutt Nainwal
Vill- Pagana, Distt- Bageshwar

Sub: Application for Consolidated Consent and Authorization (CCA) under Section-25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended thereafter and authorization under Section-6(2) of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 - reg.

Please refer to your application for **Consolidated Consent and Authorization (CCA)** dated **(Application no. 3414763)** under above said **Acts /Rules** for soapstone mining at village Pagna, Distt Bageshwar and inspection of the Unit carried out by the concern Regional Office on dated 06.12.2023. Your application and recommendations of Regional Office are examined and your attention is drawn on following short comings:

1. The overburden generated from soapstone mining was not handled protected appropriately.
2. The occupier has not provided required safety measures for handling of overburden.

From above, it is evident that occupier is not complying with conditions sof CCA issued by the Board. In above circumstances and in public interest, **Consolidated Consent and Authorization** (CCA) to **M/s Sh. Ganesh Dutt Nainwal, S/o Sh. Kesaw Dutt Nainwal, Vill Pagana, Distt Bageshwar** cannot be permitted for discharge of domestic/trade effluent air emission and handling of hazardous wastes. Therefore, your CCA application under the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** and the **Hazardous and Other Waste (Management, Disposal and Transboundary) Rules, 2016** is hereby refused. You are directed to remove/rectify the short comings/discrepancies within **30 days** of refusal of CCA application and submit fresh application along with initial fee, requisite bank guarantee and **compliance of above point, through the OCMMS (Online Consent Management and Monitoring System).**

In case of non-compliance of above, action shall be initiated against the Unit under the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974,** the **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981** and the **Environment (Protection) Act, 1986** as amended thereafter, which includes directions for closure, regulation of industry, operation or process and stoppage or regulation of supply of electricity, water or any other service.

(S.K. Pattnaik)
Member Secretary

Copy to: **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Haldwani, Distt- Nainital** for information and necessary action.

Member Secretary

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या–481 /रा0अ0–अवैध खनन जॉच/2022–23 दिनांक–16 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश विषयक।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश विषयक के अनुपालन में दिनांक–05.12.2023 को ग्राम पगना तहसील काफलीगैर अन्तर्गत एप्लीकेंट श्री गणेश दत्त नैनवाल की सोप स्टोन माइन का खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। खनन क्षेत्र की संयुक्त जांच उपरान्त संयुक्त निरीक्षण आख्या तैयार की गयी है।

अतः पत्र के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या
627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे
पारित आदेश दि० 12 अक्टूबर, 2023 व जिलाधिकारी कार्यालय के
पत्र संख्या- 55/30-खनन- एन०जी०टी०/2023-24 दि० 19/10/23 के
क्रम में दिनांक 05 दिसम्बर 2023 को ग्राम पगना तहसील काफली
गैर जनपद बागेश्वर स्थित पट्टाधारक श्री गणेश दत्त नैनवाल
माइन्स, ग्राम पगना का राजस्व विभाग व खनन विभाग द्वारा संयु-
क्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि पट्टाधारक
श्री गणेश दत्त नैनवाल द्वारा अपने खनन कार्य का मलुवा सीमांकि
क्षेत्र से बाहर डाला गया है। संयुक्त निरीक्षण की विस्तृत आख्या
निम्नवत् है :-

1. संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि पट्टाधारक श्री गणेश दत्त
नैनवाल द्वारा अपने सोप खनन का मलवा अपने डंपिंग जोन के अति-
रिक्त सीमांकित खनन क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार एवं निजी नाप
भूमि में डाला गया है। अभिलेखीय मिलान करने पर स्पष्ट है कि
पट्टाधारक श्री गणेश दत्त नैनवाल द्वारा ग्राम पगना तहसील काफली
गैर में स्थित अपनी सोपस्टोन खनन का मलुवा ग्राम पगना के
ज०वि० खतौनी खाता संख्या- 00111 में दर्ज खसरा संख्या- 4307,
4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315 खतौनी खाता
संख्या- 00023 में दर्ज खसरा संख्या- 4386, 4387, 4388, खतौ०
खाता संख्या- 00019 में दर्ज खसरा संख्या- 4385, खतौनी खाता संख्
00084 में दर्ज खसरा संख्या- 4380, 4381 व ग्राम पगना तहसील
काफलीगैर के गैर ज०वि०ख०खा० संख्या- 41 श्रेणी-5 में दर्ज खसरा
संख्या- 4317, 4318, 4319, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 43
4327, 4328 गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या- 88 श्रेणी 10(4)
अकृषिक रॉखड़-चट्टान (बंजर ना०का०आ०) में दर्ज खेत संख्या- 430
4316, 4320, 4329, 4330 गैर ज०वि० खतौनी खतौनी खाता संख्या-
4365 में अपने खनन का मलुआ डाला गया है। राज्य सरकार एवं नि

नाप भूमि पर खनन का मलुवा डालने की अनुमति सम्बन्धित पट्टाधारक को प्राप्त नहीं है।

2. इस प्रकार पट्टाधारक श्री गणेश दत्त मैनवाल, सोप स्टोन माइन्स, ग्राम पगना द्वारा बिना अनुमति के राज्य सरकार एवं निजी नाप भूमि के उपर्युक्त खसरा नम्बरों में अपने सोप स्टोन खनन का मलबा डाला गया है। वर्णित खेत पट्टाधारक के खनन कार्य हेतु स्वीकृत भूमि के सीमांकित क्षेत्र से बाहर है।

3. उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 977/VII-A-1/2023-24 ख/2007 देहरादून दि० 16 जून 2023 की अधिसूचना के अध्याय 5 के नियम 50 के उपनियम 12 में उल्लिखित किया गया है कि स्वरवाने-चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रूपया 5 लाख का जुर्माना जिला खनन अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

4. संयुक्त निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक द्वारा सोप स्टोन खनन का मलबा अपने सीमांकित क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार व निजी नाप भूमि में डाला जाना पाया गया तथा जो अभिलेखीय मिलान से भी प्रमाणित होता है। इसलिए पट्टाधारक श्री गणेश दत्त मैनवाल ग्राम पगना तह० कापकोट पर उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग-1 के उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रूपया 05 लाख (पांच लाख मात्र) की धनराशि आरोपित की जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न - खसरा, खतौनी व नक्शा।

(हस्ताक्षर)
राजस्व उपनिरीक्षक
खांकर।

(हस्ताक्षर)
खनिज मोहर्रिर
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
बागेश्वर।

(हस्ताक्षर)
उपनिदेशक/खान
अधिकारी बागेश्वर

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
बागेश्वर।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या: 2209 /VII-A-1/2021/121ख/04
देहरादून,दिनांक 05 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पगना में कुल 4.834 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु श्री भरत सिंह भाकुनी पुत्र श्री आनन्द सिंह भाकुनी, निवासी तहसील रोड, बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 01.03.2017 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1825/VII-1/2018/121ख/14, दिनांक 31 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री भरत सिंह भाकुनी पुत्र श्री आनन्द सिंह भाकुनी, निवासी तहसील रोड, बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पगना में सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु आवेदित 4.834 है० भूमि के सापेक्ष गणनानुसार कुल 04.944 है० भूमि में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र (letter of Intent) स्वीकृत किया गया है।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–3496/गु०ख०/खनन/120/बागे०/भू०खनि०ई०/(2016–17) 2021, दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री भरत सिंह भाकुनी पुत्र श्री आनन्द सिंह भाकुनी, निवासी तहसील रोड, बागेश्वर को सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.08.2018 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना में हुए लगभग 33 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पगना में सीमांकित कुल 4.944 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

क्र०सं०	खनिज का नाम	सोपस्टोन
1.	क्षेत्रफल	जनपद व तहसील बागेश्वर ग्राम पगना में 4.944 है०, जिसमें श्रेणी 1(क) की भूमि का क्षेत्रफल 4.057 है०, श्रेणी 7(क) की भूमि 0.222 है०, राज्य सरकार की भूमि का क्षेत्रफल 0.632 है० व सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.033 है० है। इस प्रकार आवेदित क्षेत्रान्तर्गत कुल भूमि 04.944 है० भूमि को सम्मिलित किया गया है, जो एक सहत खण्ड में है, का खसरा विवरण एवं खसरा मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
2.	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष
3.	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
4.	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5.	जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान	शासनादेश दिनांक 14 फरवरी 2018 के प्रावधानानुसार रायल्टी का 25 प्रतिशत
6.	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तें:

7.1 शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2. वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. आवेदक को खनन पट्टा विलेख की शर्तों/शासकीय आदेशों/निदेशालय द्वारा जारी आदेशों/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

–2

7.4. आशय पत्र पर स्वीकृत 4.944 हैं0 क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि श्रेणी 10(1) व 10(2) का क्षेत्रफल 0.033 हैं0 में खनन कार्य निषिद्ध होगा तथा राज्य सरकार की भूमि 0.632 हैं0 में राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार Lease rent का भुगतान जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा निर्धारित विधि एवं दर से राजकोष में जमा किया जायेगा।

7.5. प्रस्तावित स्थल से सोपस्टोन के अतिरिक्त अन्य खनिजों के निकलने की दशा में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये अन्य खनिजों का दोहन/निकासी न किये जाने की व्यवस्था की गयी है, का उल्लेख किया गया है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1917, दिनांक 07 नवम्बर, 2020 के द्वारा खनिज सोपस्टोन के आवेदित क्षेत्रों में उपलब्ध मैग्नेसाईट, लाईम स्टोन की उपलब्धता के संबंध में Limit का निर्धारण किये जाने हेतु कन्ट्रोलर जनरल, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में मार्गदर्शन अपेक्षित है। आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति के उपरान्त खनन कार्य के दौरान निकलने वाले अन्य खनिज यथा मुख्य खनिज को एकत्रित कर रखेगा, जिसका निस्तारण भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से प्राप्त होने वाले दिशा–निर्देशानुसार निस्तारण किया जाना होगा।

7.6. आवेदक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति संख्या 256–01(95)/19, दिनांक 31.07.2021 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

7.7 आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTO प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7.8. जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या–200/तीस–21/खनन/(2016–17)/17, दिनांक 21.11.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार आवेदक के पक्ष में 37 जोतदारों द्वारा पृथक–पृथक नोटरीकृत अनापत्तियां दी गयी है। पट्टाधारक खनन किये जाने वाले खेत/खसरा की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय प्रस्तुत करेगा। जिस खेत/खसरा में खनन हो रहा है, उसके भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छायाप्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने से 15 दिन पूर्व जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7.9. खनन पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु स्टाम्प ड्यूटी का आंगणन उप निबंधक, बागेश्वर से कराया जाना होगा।

7.10. पट्टाधारक द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमोदित खनन योजना में प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रथम अनुसूची में खनिज की निकासी के समय प्रभावी रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त रायल्टी की धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्षक 0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रायल्टी शुल्क एवं स्वत्व, 01 खनिज रियायती शुल्क एवं स्वत्व शुल्क में जमा कराया जाना होगा।

खनन पट्टाकृत भूमि के लिए उपरिहार्य भाटक का भुगतान केवल उस दशा में लागू होगा, जबकि खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अपरिहार्य परिस्थितियों से पट्टाधारक द्वारा खनिज का उत्पादन/निकासी किया जाना सम्भव न हो। पट्टाधारक द्वारा उल्लिखित अपरिहार्य परिस्थितियों का आंकलन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

7.11. पट्टाधारक खनिज सोपस्टोन की रायल्टी की दर के 25 (पच्चीस) प्रतिशत का भुगतान जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के बैंक खाते में पृथक से जमा करेगा।

7.12. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की अनुसूची–1 रायल्टी व 2 अपरिहार्य भाटक के अन्तर्गत किराया (रायल्टी) (यहां के बाद कथित नियमावली कहलायेगी) द्वारा अधिसूचना सं0 211/VII-1/24-ख/2007, दिनांक 26–2–2016 एवं अधिसूचना सं0 1757/VII-1/ 24-ख/2007, दिनांक 22.11.2016 एवं यथासंशोधित नियमावली, यदि इन प्रपत्रों की नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत कोई किराया, रायल्टी या अन्य राशि, जो राज्य सरकार को देय हो का भुगतान पट्टेदार द्वारा समयसीमा में नहीं किया जाता तो उसे 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष सामान्य ब्याज के साथ उससे उत्तराखण्ड सरकार के एक प्रमाण–पत्र पर भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जायेगा।

7.13. आवेदक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा खनन योजना/स्कीम ऑफ माइनिंग हेतु जारी दिशा-निर्देश संबंधी पत्र संख्या-1762/खनन/गौण खनिज-माईनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015-16, दिनांक 31 अक्टूबर 2015, पत्र सं० 301/भु0ख0/26(टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015-16, दिनांक 17 जून 2020 एवं पत्र सं० 302/भु0ख0/26(टी0सी0) भू0खनि0ई0/2015-16 दिनांक 17 जून 2020 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना की जानी होगी :-

i. निर्धारित मानक 5.00 है0 हेतु 1 एक्सप्लोरेटरी होल प्रतिवर्ग के मानक के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

ii. ड्रिलिंग मशीन से न्यूनतम 5 है0 तक खनन पट्टा क्षेत्र का Core ड्रिल हेतु होल न्यूनतम 30 मी० गहराई के मानक के अनुसार प्रतिवर्ष के आधार पर अर्थात् 500 है0 का गालन खनिज अन्वेषण हेतु नही किया गया है तो खनन कार्य हेतु ट्रैक्टर Mounted या Chain Mounted Excavator की अनुमति न दिये जाने का परीक्षण किया जाय।

iii. ओवर बर्डन डम्पिंग का स्थान खनन क्षेत्र सीमा (Mining lease) के अन्दर किया जायेगा।

iv. प्राप्त खनिज मैग्नेसाईट, सोपस्टोन आदि का रासायनिक विश्लेषण कर विस्तृत रिपोर्ट संरक्षित की जाय।

v. प्राप्त खनिज मैग्नेसाईट को पृथक डम्प में रखा जाय। इस को अन्य ओवर बर्डन के साथ सम्मिलित न किया जाय एवं जिला खान अधिकारी द्वारा अनिमत सहित मुख्यालय को निर्धारण हेतु भेजी जाये।

vi. ओवर बर्डन डम्प की मात्रा (टन में) सहित विस्तृत विवरण का परीक्षण किया जायेगा।

vii. ओवर बर्डन की उपलब्धता, ओवर बर्डन में सम्मिलित किये जाने का आधार सम्पूर्ण रासायनिक विश्लेषण के साथ परीक्षण किया जाये।

अतएव यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों के आधार पर स्वीकृत एवं सीमांकित 4.944 है० भूमि पर सोपस्टोन का खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हो, तो अपनी लिखित सहमति एवं खनन पट्टा विलेख महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के माध्यम से आलेख को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार निर्धारित स्टाम्प पर टंकित करवा कर शासन को प्रस्तुत करना होगा।

लक्ष्मण सिंह
संयुक्त सचिव

संख्याः 2209 (1)/VII-A-1/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. श्री भरत सिंह भाकुनी पुत्र श्री आनन्द सिंह भाकुनी, निवासी तहसील रोड, बागेश्वर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 653, इन्दिरानगर कालोनी, सीमाद्वार रोड, देहरादून– 248006 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित)
दूरभाषः 0135–3510581
ईमेलः seiaa.seac.uk@gmail.com

सत्यमेव जयते

State Level Environment Impact Assessment Authority, 653, Indiranagar Colony, Seemadwar Road, Dehradun- 248006
(Constituted by Ministry of Environment, Forests and Climate Change Government of India.)
Phone No- 0135-3510581
Email- seiaa.seac.uk@gmail.com

E.C.No-256-01(95)/2019 Dated- 31 -07-2021

To,

Shri Bharat Singh Bhakuni,
S/o Shri Anand Singh Bhakuni,
R/o- Tehsil Road, Dist.-Bageshhwar.

Sub: Environmental Clearance under EIA notification dated 14.09.2006 for Extraction of Soapstone in Khasra no. 1932, 1942, 1950 and others, Vill- Pagna, Tehsil & Dist- Bageshwar. (Area 4.944 Ha.)

Kindly take reference to your online proposal No SIA/UK/MIN/60777/2019 submitted to SEIAA Uttarakhand regarding aforementioned subject. The details about the project site and proposal for EC as per the documents submitted by the project proponent is as under:-

S. No	Details	Reply
1	Name of the Proponent	Shree Bharat Singh Bhakuni, S/o Shree Anand Singh Bhakuni R/o- Tehsil Road,Bageshwar, Dist.-Bageshwar.
2	Project Site	Near Pagna, Tehsil: Bageshwar, District – Bageshwar.
3	Project Site Coordinates	Latitude: 29°47'2.18"N to 29°47'5.98"N Longitude79°48'32.68"E to 79°48'28.46"E
4	Type of project	Mining as per Schedule 1(a) of EIA Notification 2006
5	Mine Lease Area	4.944 Ha
6	Project Category as per EIA Notification 2006	B1
7	New or On going Site	New Site
8	Letter of Intent	Letter of intent for grant of M.L was issued vide letter no. 1825/VII-1/2018/121/Kh/14 dated 31/08/2018 over an area of 4.944 hect. in Village-Pagna, Tehsil- Bageshwar, Dist. – Bageshwer, Uttarakhand for 25 years.
9	Method of Mining	Opencast Semi Mechanized Method
10	Total Mineable Reserve	267294 MT
11	Estimated Quantity	47782 TPA (ROM)
12	Thickness of soil	Varies from 0.2m – 0.3m.
13	Mining Shall be carried out from	945m RL-810m RL
14	Mine area under cluster	There is two other mines also present with in 500m of proposed mine site. The total of cumulative area of all mine lease area are as follows:–
15	Slopes and ultimate face slope	Face slope of benches shall be 70^0 and the ultimate slope will be 45^0
16	No. of Pits	2 trial Pit
17	Project Cost/EMP Cost	Poject cost ₹60 lacs. EMP-Capital Cost ₹ 10.5 Lacs Recurring Cost- ₹ 6.4 Lacs/Annum
18	Corporate Environment Responsibility (CER)	2 % of the project cost
19	Whether any tree felling is involved	No

S.No	Mine Holder	Mine Lease Area (in ha.)
1.	Jiten Singh Athani	3.909
2.	Ganesh Datt Nainwal	13.996

1

The SEAC during its meeting held on 19th March, 2021 had undertaken appraisal of the above project. It has been found that the proposal is classified under Category B1 of EIA Notification 2006. The proponent has submitted PFR, EMP and other relevant documents as desired. After due examination of the relevant documents/certificates submitted by the project proponent and additional clarification furnished in response to its observations earlier, SEAC has recommended the grant of Environmental Clearance for the above project, subject to compliance of the EMP and other stipulated conditions. SEIAA during its meeting dated 27th – 28th July, 2021 reconsidered the above proposal based on the recommendation of SEAC. SEIAA observed that project proponent has submitted the desired documents as sought by the Authority during its earlier meeting dated 8th – 9th April, 2021. After due examination and deliberation, the **SEIAA Uttarakhand hereby accords Environmental Clearance** for the above project under category B-1 of EIA notification 2006 (as amended from time to time) subject to the strict compliance with the General, Specific and other conditions mentioned below:-

1- General Conditions

1. The mining/extraction of mineral and progressive mine closure should be done as per the approved mine plan. The mine plan should have validity till the mining period
2. The Proponent will ensure that mine site should have well demarcated safety zone i.e. mining operation will not be carried out in the vicinity of 100 m from nearby bridges, educational institution or structures of historical importance.
3. The project area shall be strictly used for the activities permitted. The workers will be strictly instructed to not to enter in the adjoining forest and not to harm any wildlife and existing vegetation for their various needs. No work shall be carried out after sunset
4. The overall manpower will be restricted to bare minimum. Though mostly local labour will be deployed, but for the essential manpower staying at site, not fuel wood based support will be provided for cooking purpose.
5. Sufficient numbers of dustbins will be provided to labourers for collection of their daily use garbage, Bio-degradable & solid garbage will be collected in separated bins & proper disposal of these garbage will be ascertained.
6. At no stage mining shall be carried out after exhausting extraction of the estimated mineable quantity as stated above.
7. The mining operation would provide local employment and bring economic benefits to local population.
8. The Proponent should provide Eco-friendly toilets for the workforce. The workers shall be directed to use the sanitation facilities provided at project site and instructed not to litter the project site. Sufficient numbers of Bio-Toilets will be provide to workers at safe distance from river flow bed.
9. Wild Animals being sensitive to noise, no project activities shall be carried out at night (sunset to sunrise) time.
10. All workers shall be imparted basic knowledge regarding the Do's and Don'ts of working within Forest Areas.
11. Photography of the proposed mining site (preferably using Drone) should be done and submitted to SEIAA along with half-yearly compliance report.
12. The project proponent shall submit half yearly compliance report of stipulated conditions of Environment Clearance in soft copy through PARIVESH PORTAL given link: https://parivesh.nic.in. The compliance report shall also be e mailed to the Regional Office in Dehradun in moef.ddn@gov.in

2- Conditions for operation phase

1. The project proponent should advertise with basic details at least in two widely circulated local newspapers, within seven (7) days of the receipt of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority, Dehradun and a copy of the same be sent to the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India located at 25 Subhash, Road Dehradun.
2. The legal status of the mining lease area shall remain unchanged and the Environment Clearance shall remain co-terminus with lease period. The mined lease area shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
3. The mining/extraction of soapstone shall not be done without approved mine plan from designated authority. The mine plan should be revised every 5 years and no fresh mine plan shall be prepared without site inspection by designated authority.
4. The boundary of the mined lease area shall be demarcated on ground by erecting pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoining pillars etc. This demarcation will be ensured by the Revenue Department. A bench mark will be established to monitor depth of the mining. A safety zone of 7.5 mt (surrounding the mine site) shall be left free from mining.

5. The mining shall be carried out by open cast Semi mechanized method without adopting drilling and blasting operation. The use of hand held mechanically driven equipment is permitted. The use of any electrically driven machinery shall remain prohibited and only hand held tools shall be used for extraction of the mineral.
6. Soapstone mining shall be carried out during sunrise to sunset period only. It shall not involve felling of trees and clearance of vegetation. There shall be no permanent construction at the site except temporary erection of first aid room, office, store, drinking water shed, rest shelter etc.
7. The process of mining and quantity of extractable mineral and subsequently progressive mine closure shall be as per the approved mine plan. The mining operation shall be carried out from Upper level to Lower level by formation of benching pattern. The maximum height of benches shall not exceed 1.5 mt and ultimate pit slope shall be kept at 45 degrees.
8. The maximum permissible depth for mining of soapstone shall not exceed 6 meters or depth of ground water table whichever is less. During first five years of mining lease the depth of mining shall not exceed 3 meters. Mining beyond 6 meters will be considered after site visit by SEAC.
9. Extraction of minor mineral is permitted from 1st October of every year to 15th June of the subsequent year. It shall be ensured that no mining activity is carried out during the monsoon season. Workers should be advised and protected against flash flood during 1st June to 15th June and 1st Oct to 31st Oct during which there may be rains in the hills.
10. Reclamation of the mine lease area shall be through back filling, stabilization and cultivation. The waste and top soil generated during mining shall be temporarily stacked in external dump which will be subsequently vacated and back filled in mined out pits. The waste generated in the area will be backfilled during rains and land made suitable for cultivation. Back filling shall be done in a retreating manner from Lower level to Upper level. Mining activity and back filling shall be done simultaneously once space is available.
11. No disturbance to natural drainage system around the mining lease area shall be done. No mixing of wastes is allowed. The dump site shall be kept away from the nearby nallahs/water bodies and maintained at a distance of at least 100 meters. The external dump shall be protected against slide/slip by adopting suitable mechanical and vegetative measures. Proponent should construct a retaining wall, along the nallah side, with suitable height to protect soil erosion. The construction of toe wall, check dam and planting of grass species/soil binding dwarf species in dump yard shall be done.
12. The project proponent shall undertake transportation of mineral from pit head to read head manually or by mule. Further it shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel-efficient vehicles for transporting extracted minerals to final destination. There shall be no over loading of vehicles as against standard norms fixed by Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.
13. The project proponent shall regulate and maintain record of the quantity of soapstone extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Mines Department/District Administration from time to time.
14. There shall be no labour camp in the mining lease area for the labour engaged in mining of soapstone. The labour engaged in mining shall be provided free fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest land
15. Proponent should submit surface water quality and ambient air quality monitoring report as committed in EMP, with suitable parameters.
16. Under corporate social responsibility proponent should develop community services such as drinking water, education, housing, sanitation, health, safety and medical facilities, public transportation and communication, social welfare etc.
17. The proponent shall erect eco-friendly mobile toilets for the workforce at site and shall ensure disposal of solid waste as per the existing provisions/rules/guidelines.
18. Minimum 5000 plants will be planted in nearby Van Panchayat first and second year followed by their maintenance in the next three years. The species selection shall be site specific and cater to the demand of the Van Panchayat. The Divisional Forest Officer, Bageshwar shall ensure the compliance. Besides this the proponent shall develop 5 meter wide dense plantation of shrubs around the mining site.
19. The Geology and Mining department shall identify an agency for regular/periodical monitoring of quality of ground water of existing hand pumps and tube wells in the vicinity of the mining site.
20. The project proponent shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of laborers for sustainable extraction of the minerals from the mining lease area. The project proponent shall ensure that maximum local labour be engaged and hence opportunities of employment be provided. The project proponent shall follow all safety measures for labour force engaged in accordance with relevant Acts/Rules.
21. The project proponent shall prepare the plan of mining in conformity with the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard thereby clearly delineating the 'No Work Zone' in the mine lease area i.e. at least 100 mt distance from Nallahs/Water Bodies, bridges, educational institution or structures of historical importance.

22. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. It shall be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
23. The project proponent shall provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.
24. The proponent shall provide eco-friendly mobile toilets for the workforce at site and shall ensure disposal of solid waste as per the existing provisions/rules/guidelines.
25. The project proponent shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
26. Photography of the proposed mining site as well as the plantation sites undertaken by the project proponent showing GPS coordinates should be done (preferably using Drone) and submitted to SEIAA and regional office of MoEF&CC, Govt of India at Dehradun along with half-yearly compliance report.
27. Project proponent will strictly comply with EMP/EIA.
28. Project proponent will have to submit EMP/EIA report to Mining Department (Lessee) and Pollution Control Board before getting work order/Consent to Established or Operate.
29. The project proponent shall submit half yearly compliance report of stipulated conditions of Environment Clearance in soft copy through PARIVESH PORTAL given link: **https://parivesh.nic.in.**

3- **Entire Operation**

1) The Environmental Clearance is being granted for mining/extraction of Soapstone in the approved Mine Lease Area. Legal status of the mining lease area shall remain unchanged and the Environmental Clearance is being granted only for the lease period. The mined lease area shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
2) The maximum permissible depth for mining of Soapstone shall not exceed 6 meter or depth of ground water table whichever is less. During first five years of mining lease the depth of mining shall not exceed 3 meters. Mining beyond 6 meters shall be granted after site visit by SEAC. However, Authority may also visit the site in operational phase, whenever it is found to be necessary.
3) Reclamation of the mine lease area shall be through back filling, stabilization and cultivation. The waste and top soil generated during mining shall be temporarily stacked in external dump which will be subsequently vacated and back filled in mined out pits. The waste generated in the area will be backfilled during rains and land made suitable for cultivation. Back filling shall be done in a retreating manner from Lower level to Upper level. Mining activity and back filling shall be done simultaneously once space is available.
4) The dump site shall be kept away from the nearby nallahs/water bodies and maintained at a distance of at least 100 meters. The external dump shall be protected against slide/slip by adopting suitable mechanical and vegetative measures. The construction of toe wall, check dam and planting of grass species/soil binding dwarf species in dump yard shall be done as given in mining plan.
5) The project proponent shall undertake transportation of mineral from pit head to road head manually or by mule. Further it shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel-efficient vehicles for transporting extracted minerals to final destination. There shall be no over loading of vehicles as against standard norms fixed by Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.
6) The project proponent shall regulate and maintain record of the quantity of Soapstone extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Mines Department/District Administration from time to time.
7) There shall be no labour camp in the mining lease area for the labour engaged in mining of Soapstone. The labour engaged in mining shall be provided free fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest land.
8) The project proponent shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for sus0tainable extraction of the minerals from the mining lease area. The project proponent shall ensure that maximum local labour be engaged and hence employment opportunity provided. The project proponent shall follow all safety measures for labour force engaged in accordance with relevant Acts/Rules.
9) Under CER, Project Proponent apart from other activities, will also install Solar lights and distribute forest fire fighting equipments to the local groups (Mahilamangal dal/Yuvakmangal dal/Vanpanchayat) in the adjoining villages close to forest areas in consultation with local Forest Officials.

10) The project proponent shall provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.
11) The project proponent shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
12) The above environmental safeguards shall be implemented in letter and spirit. The project proponent shall establishEnvironment Monitoring Cell and also submit six monthly compliance reports to this Authority and regional office of MoEF&CC, Govt of India at Dehradun.
13) The SEIAA reserves the right to include additional safeguard measures if found necessary and also to take action including revoking of the EC granted under provision of EIA Notification 2006. This EC is being granted subject to compliance of Hon'ble Court Orders issued from time to time.
14) Any appeal against this Environment Clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under relevant section of the National Green Tribunal Act, 2010.
15) If it is found that if conditions laid down by the Authority are violated, the Authority may suspend or cancel this Environmental Clearance.

4- **Specific Conditions:- (To be followed by Director Industry, Geology and Mining Unit, Govt. of Uttarakhand).**
   1- Mining and Geology department of the State Government should recalculate the maximum production levels and inform the Authority accordingly.
   2- A study shall be carried out at least in over a year through mines and geology department to avoid over exploitation of mineral, which may adversely affect the dynamics of site. A copy of said study report shall be submitted to the Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at Dehradun and SEIAA, Uttarakhand.
   3- The Geology and Mining unit of Industry Department shall identify an agency for regular/periodical monitoring of quality of ground water of existing hand pumps and tube wells in the vicinity of the mining site.
   4- Digital processing of the entire lease area using remote sensing technique should be done by Geology and Mining department regularly and report should be submitted to the Ministry of Environment and Forests, Regional office at Dehradun and SEIAA, Uttarakhand.

In view of the COVID-19 scenario, social distancing at work-place shall be maintained, and such other conditions and safeguard shall be ensured as directed by Government of India, Government of Uttarakhand and concerned District Magistrate from time to time.

Your's Faithfully

(Sushanta Kumar Pattnaik)
Member Secretary,
SEIAA, Uttarakhand

No - 256 01(95)/2019 dated- as above
Copy for information and necessary action to-

1. APCCF, Regional office (Central) MoEFCC Govt of India, 25 Subhash Road, Dehradun.
2. Additional Chief Secretary, Forests & Environment, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. Director Industries, Geology & Mining Unit Govt of Uttarakhand Dehradun
4. District Magistrate, Bageshwar.
5. Member Secretary, UEPPCB, IT Park Dehradun.
6. Divisional Forest Officer, Bageshwar, Forest Division Bageshwar.
7. Guard File for uploading in Parivesh Website.

(Sushanta Kumar Pattnaik)
Member Secretary,
SEIAA, Uttarakhand

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून-248001

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/एनओसी-7327/2021/ 1124 दिनांक 09.11.2021

सेवा में,

Shri Bharat Singh Bhakuni,
S/o Shri Anand Singh Bhakuni,
Tehsil Road, Distt. Bageshwar.

Registered/AD

CAF ID - 31120
CTE : Fresh

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2021 (Application No.- 1705664) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापनार्थ सहमति (Consent to Establish) पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Kh. No. 1932, 1942, 1950 and others, Vill. Pagna, Tehsil & Distt. Bageshwar. (Total mining area – 4.944 Hectare)
(ख) उत्पादन :	Soapstone – 14557 MT per Year
(ग) मुख्य कच्चे माल :	Soapstone and Earth Mix - 240 MT per Day
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह :	NIL
(ड.) प्रयुक्त ईधन :	NIL

2- चुगान/खनन क्षेत्र में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित् करें।

3- चुगान/खनन क्षेत्र में परीक्षण संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल सहमति एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4- चुगान/खनन क्षेत्र में खनन कार्य से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।

5- घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा 0.5 कि0ली0/दिन से अधिक नहीं होगी। जनित घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक के माध्यम से सोक-पिट में निस्तारित किया जाये।

6- इकाई प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र जारी होने की तिथि से 05 वर्ष तक के लिये वैध होगा।

8- चुगान/खनन क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थो को इस प्रकार निस्तारित किया जाये, कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे। खनन/चुगान कार्य से जनित over burden का नियमानुसार प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाये। खनन विभाग द्वारा अनुमोदित Progressive Mine Closure Plan का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9- चुगान/खनन कार्य का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न होवें। प्रदूषण सम्बन्धी जन - शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र रिवोक कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्यमी का होगा।

10- चुगान/खनन क्षेत्र में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

11- चुगान/खनन हेतु State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttarakhand द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति सं0 256-01(95)/2019, दिनांक 31.07.2021 में वर्णित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

12- विषयगत खनन स्थल पर खनन/चुगान कार्य सक्षम स्तर से अनुमोदित Approved Mining Plan के अनुसार ही किया जाये तथा खनन/चुगान कार्य मात्र सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जाये।

13- इकाई चुगान/खनन कार्य इस प्रकार किया जाये कि जल एवं वायु प्रदूषण की समस्यायें उत्पन्न न होंवे। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार जल छिड़काव की व्यवस्थायें की जाये ताकि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।

14- विषयगत स्थल पर खनन/चुगान कार्य मात्र Open Cast Pit Semi Mechanized Method द्वारा किया जाये।

15- खनन/चुगान कार्य इस प्रकार सुनिश्चित् किया जाये कि खनन/चुगान से नदी/जल धारा का प्राकृतिक प्रवाह किसी भी दशा में बाधित न होंवे तथा समीपवर्ती जल स्त्रोतों की गुणवत्ता किसी भी दशा में प्रभावित न होवें।

16- खनन/चुगान से प्राप्त रेता/बजरी/पत्थर के परिवहन हेतु आबद्ध वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित् की जाये, ताकि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।

17- विषयगत स्थल पर खनन/चुगान कार्य के साथ-साथ Progressive Mine Closure Plan का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

18- खनन/चुगान कार्य मात्र सक्षम स्तर से सीमांकित क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया जाये। सीमांकन हेतु पक्के/स्थाई पीलर्स की स्थापना की जाये एवं खनन क्षेत्र का पूर्व विवरण यथा-नाम, क्षेत्रफल, लीज़ की अवधि, खनन की मात्रा आदि हेतु डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाये।

19- प्रतिदिन/प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता किसी भी दशा में खनन विभाग द्वारा जारी अनुमति से अधिक न की जाये।

20- खनन/चुगान हेतु समय-समय पर शासन/सक्षम स्तर से प्रेषित् आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

21- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। आवेदक सक्षम विभागों से आवश्यक रूप से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापना हेतु सहमति (CTE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में खनन क्षेत्र द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.11.2021 तक अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित् की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना हेतु सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

पृ0 सं0 एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, जिला- नैनीताल को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

UKPCB

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com
Ph. No. 2976157, 2976158, 2607092

UKPCB/HO/Con/ B-195/2022/ 1240

Date : 18.10.2022
REGD. POST

To,

Shri Bharat Singh Bhakuni,
S/o Shri Anand Singh Bhakuni,
Tehsil Road, Distt. Bageshwar.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2)" of the "Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as **Water Act, Air Act** and **HW Rules** respectively).

CAF ID - 31120	**Application No. – 2243169**
CCA (Renewal)	**Date :- 25.03.2022**

CCA is hereby granted to **Shri Bharat Singh Bhakuni, S/o Shri Anand Singh Bhakuni** for mining of Soapstone at **Kh. No. 1932, 1942, 1950 and others, Vill. Pagna, Tehsil & Distt. Bageshwar** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted for the period upto 31.03.2027** and valid for mining of following product(s) with **Capital Investment/Net Assets Values ₹ 60.0 Lacs.** :-

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Year)	Product	Quantity (Per Year)
1	Soapstone	14557 MT	Soapstone	14557 MT

2. **Specific Conditions under Water Act :-**

(i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-**

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	Nil	Nil
Sewage	Nil	Nil

(ii) **Trade Effluent Treatment and Disposal :-** .....Nil.....

(iii) **Sewage Treatment and Disposal** :- The applicant shall provide comprehensive Septic Tank/Soak pits as is required with reference to influent quantity and quality.

3. **Conditions under Air Act :-**

(i) The applicant shall not use any fuel.

(ii) Unit has to maintain ambient air quality and ensure that the same be kept within norms as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986.

(iii) Unit has to follow ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones which are as follows :-

O/C

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. **Conditions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** :- There shall not be any hazardous waste, hence this rule is not applicable.

5. This CCA is valid for Mining of Soapstone by the process of Open cast semi mechanized method without adopting drilling & blasting operation only.

6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-**
   (i) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986.**
   (ii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.**

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the **Water Act, Air Act** and **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** will results in legal action under the aforesaid **Acts and Rules.**

Member Secretary

O/C

Copy to: **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Distt. Nainital** for information and compliance of the same.

Environment Engineer

O/C

Specific Conditions: **Annexure**

1. The Occupier shall under take mining in conformity with approved Mining Plan with the conditions and Rules prescribed in this regard, and instruction issued time to time.
2. The Occupier shall make permanent piller(s) along the boundary of the mining area and shall display details as- Name of Occupier, Lease Date & Validity, Lease Area etc. at prominent place.
3. The Occupier shall ensure that whatever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
4. The Occupier shall ensure regular water sprinkling in critically prone to air pollution and having high levels of Particulate Matter (PM) such as loading and unloading points and all transfer points.
5. The Occupier shall undertaken adequate safeguard measures during extraction of minor minerals and ensure that due to this activity the hydro-geological refine of surrounding area shall not be affected.
6. Vehicular emission shall be kept under Control and regularly monitored. The mined material/over burden shall be carried out through the covered vehicles only and vehicles carrying the mined material/over burden shall not be overloaded.
7. Mining of soap stone only shall be carried out as per approved mining plan. Drilling/blasting etc shall be carried out only after prior approval of the Competent Authority.
8. Periodical medical examination of workers engaged in mining activity shall be carried out and records maintained.
9. The Occupier shall take all precautionary measures during mining operation for conservation & protection of endangered fauna & flora etc.
10. No change shall be made in mining technology and scope of mining work without prior approval of competent authority.
11. Mining shall be carried out in stipulated time and duration as permitted by competent authority.
12. The Occupier shall comply with the directions/instructions issued by the competent authority from time to time.
13. The Occupier shall strictly adhere to the conditions of Environment Clearance issued by the competent authority & provisions of approved mining plan, scrupulously.
14. The occupier shall comply with the Environment Management Plan and shall execute proposed environment management activities, scrupulously.
15. Overburden generated from the mining process shall be managed and restored as per approved mining plan. Illegal disposal/dump of overburden shall be treated as non compliance.
16. The Occupier(s) shall mark the mining area as per allotted mining lease by Competent Authority and mining shall be carried out only in approval mining area.
17. The Occupier shall ensure to submit Ambient Air Quality Report at quarterly basis.
18. The Occupier shall strictly adhere to **Approved Mining Plan with Progressive Mining Closure Plan** duly approved by the competent authority. In case of non-compliance, this CCA shall stand withdrawn.
19. The Soapstone mining capacity shall not exceed the mining capacity as permitted by the Directorate of Geology & Mining, Uttarakhand.
20. The Occupier shall strictly adhere to condition of Consent to Establish and CCA issued by this Board.
21. Mining and other allied activities shall be carried out such a way so that ambient air quality of the area does not exceed the prescribed limit.
22. The Occupier shall strictly adhere to the provisions of the Water Act, Air Act, Environment (Protection) Act, and Rules/Notifications made thereunder.
23. **The applicant shall strictly avoid the usage of single use plastics in the premises as per the list of banned single use plastics mentioned in the notification of MoEF&CC, Government of India dated 12.08.2021 and notification of Uttarakhand Government issued vide letter no. 84/XXVIII-1-20-13(II)/2001 dated 16.02.2021.**

General Conditions:-

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF&CC and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
11. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
12. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without permission of Board.

Environment Engineer

O/C 21/3

Regional Office

Uttarakhand Pollution Control Board

Awas Vikas Colony

Haldwani

Analysis Report on Surface water

Name of River/Lake	Saryu River District-Bageshwar
Sample Collected by	Dr. D.K Soni (R.D CPCB) Dr. D.K Joshi (R.O UKPCB) Smt. Monika (SDM Bageshwar) Sh. Virendar Kumar (DGM Bageshwar)
Date of Collection of Sample	06.12.2023
Date of completion of analysis	13.12.2023
Sampling point	D/s of Bharat Singh Bhakuni Mine, Pagna District-Bageshwar

S.No.	Parameters	Values	Test Method
1	Colour	Colourless	Visual
2	Odour	Odourless	Sensory
3	Temperature(°c)	10	By Thermometer
4	pH	7.39	Electrometric
5	E Conductivity (µmohs/cm)	320	Electrometric
6	BOD (mg/L)	1.4	Titrimetric Method
7	COD (mg/L)	5.0	Dichromate Reflux
8	Hardness (mg/L) as $CaCO_3$	262	EDTA method
9	Calcium (mg/L) as $CaCO_3$	146	EDTA method
10	Magnesium (mg/L) as $CaCO_3$	116	By Calculation
11	Alkalinity (mg/L)	182	Visual titration
12	Chloride (mg/L)	15	Argentrometric
13	Total Dissolved Solids (mg/L)	225	Electrometric

Scientific Assistant

Asstt. Scientific Officer

Regional Officer

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

पंजीकृत

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
भोपालपानी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्याः–228 /तीस–खनन–एन0जी0टी0/2023–24 दिनांक 21/12/2023

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति को मौके के संयुक्त निरीक्षण करने उपरांत तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय आदेश पत्र संख्या–55/तीस–खनन–एन0जी0टी0/2023–24 दिनांक 19.10.2023 से निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में यद्यपि समिति की विस्तृत आख्या पृथक से प्राप्त होनी है तथापि उपजिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या–481/रा0अ0–अवैध खनन जॉच/2022–23 दिनांक 16 दिसंबर, 2023 से अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–627/2023 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 05.12.2023 को ग्राम पगना तहसील काफलीगैर अंतर्गत पट्टाधारक श्री गणेश दत्त नैनवाल की सोपस्टोन माइन का राजस्व विभाग व खनन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि पट्टाधारक श्री गणेश दत्त नैनवाल द्वारा अपने खनन कार्य का मलवा सीमांकित क्षेत्र से बाहर डाला गया है।

1. संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि पट्टाधारक श्री गणेश दत्त नैनवाल द्वारा अपने सोपस्टोन खनन का मलुवा अपने डंपिंग जोन के अतिरिक्त सीमांकित खनन क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार एवं निजी नाप भूमि में डाला गया है। अभिलेखीय मिलान करने पर स्पष्ट है कि पट्टाधारक श्री गणेश दत्त नैनवाल द्वारा ग्राम पगना तहसील काफलीगैर में स्थित अपने सोपस्टोन खनन का मलवा ग्राम पगना के ज0वि0 खतौनी खाता संख्या–00111 में दर्ज खसरा संख्या–4307,4308,4309,4310,4311,4312,4313,4314,4315 खतौनी खाता संख्या–00023 में दर्ज खसरा संख्या–4386,4387,4388,खतौनी खाता संख्या–00019 में दर्ज खसरा संख्या–4385, खतौनी खाता संख्या–00084 में दर्ज खसरा संख्या–4380, 4381 व ग्राम पगना तहसील काफलीगैर के गैर ज0वि0ख0खा0संख्या–41 श्रेणी–5 में दर्ज खसरा संख्या–4317, 4318, 4319, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328 गैर ज0वि0 खतौनी खाता संख्या–88 श्रेणी 10(4)अकृषिक रौखड़ चट्टान(बंजर ना0का0 आ0)में दर्ज खेत संख्या–4306,4316,4320,4329,4330 गैर ज0वि0 खतौनी खाता संख्या–4365 में अपने खनन का मलवा डाला गया है। राज्य सरकार एवं निजी नाप भूमि पर खनन का मलवा डालने की अनुमति संबंधित पट्टाधारक को प्राप्त नही है।

2. इस प्रकार पट्टाधारक श्री गणेश दत्त नैनवाल, सोपस्टोन माइन्स, ग्राम पगना द्वारा बिना अनुमति के राज्य सरकार एवं निजी नाप भूमि में उपर्युक्त खसरा नंबरों में अपने सोपस्टोन खनन का मलवा डाला गया है। वर्णित खेत पट्टाधारक के खनन कार्य हेतु स्वीकृत भूमि के सीमांकित क्षेत्र से बाहर है।

3. उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–977/VII-A-1/2023-24 ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा अधिसूचना के अध्याय–5 के नियम–50 के उपनियम–12 में उल्लिखित

किया गया है कि स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जायेगा,यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है तो संबंधित पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

4. संयुक्त निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक द्वारा सोपस्टोन खनन का मलवा अपने सीमांकित क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार व निजी नाप भूमि में डाला जाना पाया गया तथा जो अभिलेखीय मिलान से भी प्रमाणित होता है,इसलिए पट्टाधारक श्री गणेश दत्त नैनवाल ग्राम पगना तहसील काफलीगैर पर उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग–1 के उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रू0 5.00 लाख(पॉच लाख मात्र)की धनराशि आरोपित किये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपजिलाधिकारी,बागेश्वर से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत मामले में औद्योगिक विकास अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून के शासनादेश संख्या–977/VII-A-1/2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप–खनिज(परिहार)नियमावली–2023 के अध्याय–5 के नियम–50 के उपनियम–12 के तहत निदेशालय स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया,

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।